

वित्त लेखे

खण्ड-I

2016-17

हिमाचल प्रदेश सरकार

खण्ड-I

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड-I	
▪ भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(iii-v)
▪ वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका (प्रस्तावना)	(vii-xii)
1 वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2 प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी	4-8
अनुबंध-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश	
3 प्राप्तियों की विवरणी(समेकित निधि)	9-11
4 व्यय की विवरणी(समेकित निधि)	12-15
5 प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी	16-19
6 उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	20-23
7 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी	24-25
8 सरकार के निवेशों की विवरणी	26
9 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी	27
10 सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	28-30
11 दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी	31
12 राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी	32-35
13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार	36-37
▪ लेखाओं पर टिप्पणी	38-50
खण्ड-II	
भाग-I विस्तृत विवरणियां	
14 लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	51-69
15 लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	70-112
16 लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष -वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	113-146
17 उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	147-158
18 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	159-165
19 निवेशों की विस्तृत विवरणी	166-180
20 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विस्तृत विवरणी	181-183
21 आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी	184-190
22 चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी	191-192
खण्ड-II	
भाग-II परिशिष्ट	
(I) वेतन पर तुलनात्मक व्यय	193-198
(II) सहायता पर तुलनात्मक व्यय	199-205
(III) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)	206-233
(IV) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विस्तृत विवरणी	234-235
(V) योजना स्कीम व्यय	236-239
(क) योजनागत व्यय	
(ख) राज्य योजना स्कीमें	

खण्ड-III

भाग-III परिशिष्ट


(VI)	राज्य की कार्यालयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गईं) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)	240-247
(VII)	अथ शेषों के साथ शेषों का मिलान व अनुमोदन	248
(VIII)	सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	249
(IX)	अपूर्ण निर्माण कार्यों की वचनबद्धता की विवरणी	250-251
(X)	वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय	252-256
(XI)	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णय तथा बजट में प्रस्तावित नई स्कीमें	257
(XII)	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों का विवरण	258

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। खंड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाञ्छरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणियां (8,9, 19 एवं 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियां (विवरणी संख्या 14 एवं 15) एवं परिशिष्टों (IV, VIII, IX एवं XI) को हिमाचल प्रदेश सरकार के निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है तथा परिशिष्ट VI को महालेखा नियंत्रक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल से बनाया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूं। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबन्ध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।



लेखा परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक यथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे 2016-17 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखा परीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली हिमाचल प्रदेश सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

दिनांक:
स्थान:

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

क. सरकार के लेखाओं की संरचना का विस्तृत अवलोकन

1. हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं, लोक ऋण के लेखाओं में दर्ज शेषों में से निकाली गई देनदारियाँ एवं परिसम्पितियों को दर्शाते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग-II: समेकित निधि: इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी लोक ऋण, ऋण और अग्रिम (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ श्रेणी के व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की वापसी इत्यादि), राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल द्वारा पारित होने के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं - राजस्व एवं पूंजीगत (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित) इन्हें आगे, प्राप्ति एवं व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति भाग, तीन खण्डों में बांटा गया है, कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं सहायतानुदान व अंशदान। इन तीन खण्डों को आगे उप-खण्डों में बांटा गया है जैसे - आय व व्यय पर कर, वित्तीय सेवाएँ इत्यादि। पूंजीगत प्राप्ति भाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं। राजस्व व्यय भाग को चार खण्डों जैसे - सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सहायतानुदान व अंशदान में बांटा गया है। राजस्व व्यय भाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे - राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति इत्यादि में विभाजित किया गया है। पूंजीगत व्यय भाग आगे सात उप-खण्डों जैसे सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ, लोकऋण, ऋण एवं अग्रिम, अन्तर्राज्यीय समाधान तथा आकस्मिकता निधि को हस्तान्तरण में विभाजित है।

भाग-III: आकस्मिकता निधि: यह निधि अग्रदाय की होती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिकता व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि में संबंधित मुख्य शीर्ष को डेबिट देकर प्रतिपूर्ति किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2016-17 की आकस्मिकता निधि ₹ 5.00 करोड़ है।

भाग-III लोक लेखा: प्राप्त अन्य सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है, जहां सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण एवं उचन्त शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लम्बित रहते हस्तान्तरण शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक लेखा में छः खण्ड जैसे: 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ', 'जमा व अग्रिम', 'उचन्त एवं विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष' सम्मिलित हैं। ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित हैं। लोक लेखा, विधान मण्डल के वोट का विषय नहीं है।


3. सरकारी लेखे छः स्तरीय वर्गीकरण जैसे: मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक) लघु शीर्ष (तीन अंक) उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो अंक) एवं उद्देश्य शीर्ष (दो अंक) में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष कार्यक्रम/क्रिया कलाप को प्रदर्शित करते हैं, उप शीर्ष योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं एवं उद्देश्य शीर्ष व्यय के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है (मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष की 31 मार्च 2016 तक अद्यतित सूची अनुसार)

0020 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिक निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिक निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों को छोड़कर) लघु शीर्ष स्तर तक लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखों में आंकड़े निवल रूप में, अर्थात् वसूली को व्यय में से कटौती करते हुए दिखाए जाते हैं। यह विधि, विधान मण्डल को प्रस्तुत माँगों एवं विनियोग लेखों में प्रस्तुत निधि से अलग है जहाँ व्यय को सकल रूप में दिखाया जाता है।

6. लेखाओं की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है:



ख. वित्तीय लेखाओं की विषय वस्तु

वित्तीय लेखाओं को दो खण्डों में दर्शाया जाता है

खण्ड-II में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका, चालू वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन देनों पर संक्षिप्त सूचना दर्शाती 13 विवरणियां, लेखाओं पर टिप्पणी तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का एक अनुबंध सम्मिलित हैं। खण्ड-I में 13 विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

1. **वित्तीय स्थिति की विवरणी:** यह विवरणी वर्ष के अन्त तक की राज्य सरकार की संचायत्मक परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के आकड़ों को दर्शाती है तथा इन आकड़ों का पिछले वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दर्शाती है।
2. **प्राप्तियों और सवितरणों की विवरणी:** यह विवरणी सरकारी लेखाओं के सभी तीनों भागों: समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखे जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है, के अन्तर्गत राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों एवं सवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त इसमें सरकार के रोकड़ शेषों (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दर्शाता अनुबंध भी शामिल है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय अग्रिमों की स्थिति को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करता है।
3. **प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):** यह विवरणी राज्य सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों तथा दायित्वों एवं दिए गये ऋण की वापसी को दर्शाती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 17 व 18 की समरूप है।
4. **व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** लघु शीर्ष स्तर तक वित्तीय लेखाओं के सामान्य प्रदर्शन से हटकर यह विवरणी व्यय कार्य-प्रकृति (व्यय के उद्देश्य) के अनुरूप भी व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II में दी गई विस्तृत विवरणी 15, 16, 17, व 18 की समरूप है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी:** यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 की समरूप है।
6. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी:** सरकार की उधारियों में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। अन्य देनदारियों में, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', आरक्षित निधियाँ एवं जमा समाहित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह भाग-II में विस्तृत विवरणी 17 की समरूप है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा आदाता व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत्त सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी भाग-II की विस्तृत विवरणी 18 की समरूप है।
8. **सरकार के निवेशों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी में निवेशों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 19 के समरूप है।
9. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी:** यह विवरणी साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के सार को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी-20 के समरूप है।
10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी:** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ग्राहियों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों स्वायत्त एवं अन्य संस्थानों/ प्राधिकरणों एवं

व्यक्तियों को प्रदत्त सभी सहायतानुदान को दर्शाती है। परिशिष्ट-III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण समाहित है।

11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी:** यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है।
12. **राजस्व व्यय के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिये। जबकि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरुआत में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार:** यह विवरणी लेखाओं को सही सिद्ध करने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 व 21 के समरूप है।

वित्त लेखों के खण्ड-II के दो भाग हैं:- भाग-I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग-II में XII परिशिष्ट हैं।

खण्ड-II का भाग-I

14. **लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी वित्त लेखों के खण्ड-I में सार विवरणी 3 की समरूपी है।
15. **लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I में सार विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय योजनागत स्कीम) तथा गैर योजनागत के अन्तर्गत दर्शाती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।
16. **लघु शीर्ष वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय योजनागत स्कीम) तथा गैर योजनागत के अन्तर्गत दर्शाती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में पूंजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्ष स्तर तक दिखाए जाने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तर तक विवरण भी दर्शाती है।
17. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों को दर्शाती हैं। यह विवरणी ऋणों पर तीन श्रेणियों- (क) व्यक्तिगत ऋणों का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात् प्रत्येक श्रेणी के ऋणों की विभिन्न वर्षों में देय राशि एवं (ग) बकाया ऋण पर ब्याज दर की रूप रेखा एवं अनुबंध में बाजार ऋण की सूचना प्रस्तुत करती हैं।
18. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी इसी खण्ड के भाग-I में सार विवरणी 7 की समरूपी है।
19. **निवेशों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी वस्तुस्थिति-वार निवेशों तथा विवरणी 16 व 19 के बीच विसंगतियां यदि कोई हों, के मुख्य शीर्ष तथा लघुशीर्ष वार विवरणों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I की विवरणी 8 के समरूप है।

20. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी सरकारी प्रतिभूतियों के वस्तुस्थिति-वार विवरण को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I के विवरणी 9 के समरूप है।
21. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्षवार विवरण दर्शाती है।
22. **चिन्हित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से निवेशों का विवरण दर्शाती है।

खण्ड-II का भाग-II

भाग-II में विभिन्न मदों, वेतन, उपदान, सहायतानुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, केन्द्रीय मुख्य स्कीम एवं राज्य योजनागत स्कीम के योजनावार व्यय इत्यादि पर बारह परिशिष्ट सम्मिलित हैं। ये विवरण लेखाओं में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे) उपलब्ध है इसलिए सामान्यतः वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाए जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा II की विषय सूची में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों का पठन, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है।

ग. शीघ्र गणक:

निम्न भाग, खण्ड-I में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड-II में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे संबंधित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए हैं)।

परिमाप	सारांश तालिकाएं (खंड-I)	विस्तृत तालिकाएं (खंड-II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदान सहित), पूंजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (उपदान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2, 10	—	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	1, 2, 7	18	
ऋण स्थिति/ऋण	1, 2, 6	17	
कंपनी, निगमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
नकदी	1, 2, 12, 13	...	
लोक लेखा में शेष तथा सम्बन्धित निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	
प्रत्याभूतियाँ	9	20	

घ. **आवधिक एवं बुक समायोजन :** लेखों में दर्ज कुछ लेन-देन, उनके दर्ज करने के समय वास्तविक रोकड़ प्रवाह से संबंध नहीं रखते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों जैसे: कोषगार, मण्डल इत्यादि के स्तर पर घटित होते हैं। उदाहरणतः वेतन से सभी प्रकार की कटौतियाँ (सामान्य भविष्य निधि, दिए गए अग्रिमों की वसूली इत्यादि) सेवा मुख्य शीर्ष (संबंधित विभाग से संबंधित) को नामे करते हुए राजस्व प्राप्तियाँ/ऋणों/लोक लेखा प्राप्ति को पुस्तकीय समायोजन द्वारा दर्ज की जाती हैं। इसी प्रकार शून्य बिल, जहाँ

समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य धन हस्तान्तरण, लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों के स्तर पर बिना रोकड़ हस्तान्तरण का लेन-देन के हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त महालेखाकार (लेखा एवं हक) , राज्य सरकार के लेखों में निम्नलिखित प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन जिनका विवरण लेखाओं पर टिप्पणी के अनुबंध (खण्ड-I) एवं संबंधित विवरणियों के नीचे टिप्पणियों में वर्णित है, करते हैं। आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजनों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं :-

- (1) समेकित निधि को नामे करते हुए निधियों का निर्माण/ लोक लेखा में निधियों को अंशदान का समायोजन जैसे राज्य आपदा राहत निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि इत्यादि।
- (2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में जमा शीर्ष को जमा करना।
- (3) सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) एवं राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन, जहाँ पर ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049 ब्याज को नामे एवं मुख्य शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि, 8011-बीमा और पेंशन निधियां को क्रमशः जमा करते हुए किया जाता है ।
- (4) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर ऋण माफी का समायोजन। ये समायोजन (जहाँ केन्द्रीय ऋणों की माफी को मुख्य शीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवाएँ" को जमा एवं मुख्य शीर्ष "6004-केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम " को क्रांदा प्रविष्टि करके किया जाता है) राजस्व प्राप्तियों एवं लोक ऋण दोनों शीर्षों को प्रभावित करते हैं।

ड. पूर्णांकित करना : जहाँ कहीं भी ₹ 0.01 लाख/करोड़ का अन्तर है वह पूर्णांकित की वजह से है।

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

पूजियाँ ¹	संदर्भ (क्र.सं.)		(₹ करोड़ में)	
	लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
रोकड़				
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय पारगमन		21
(ii) विभागीय शेष		21	0.16	0.16
(iii) स्थाई अग्रदाय		21	0.03	0.03
(iv) नगद शेष निवेश		21	7,59.43	5,56.80
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		21	(-)4,43.27	(-)3,40.76
(vi) चिन्हित शेषों से निवेश ²	
पूजीगत व्यय				
(i) कम्पनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि के शेयरों में निवेश		16 { 8,19	32,93.53	30,40.67
(ii) अन्य पूजीगत व्यय		...	2,73,14.36	2,40,68.19
आकस्मिक निधि (अनापूर्ति)	
ऋण तथा अग्रिम		7,18	60,44.26	27,84.07
विभागीय अधिकारियों को अग्रिम	
उचन्त तथा विविध शेष ³	
प्रेषण शेष	
प्राप्तियों से ऊपर व्यय का सन्वयी आधिक्य ⁴		12	1,08,00.37	1,17,20.08
जोड़			4,77,68.87	4,18,29.24

¹परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणी' अनुभाग में टिप्पणी 1(ii) भी देखें।

²कम्पनियों आदि के शर्तों में चिन्हित निधियों में से किए गए निवेशों को पूजीगत व्यय के अधीन निकाल दिया गया है तथा 'चिन्हित निधियों में से निवेश के अधीन सम्मिलित कर दिया गया है।

³इस तालिका में पंक्ति-मद 'उचन्त तथा विविध शेष' में 'नगदी शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी नगदी अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं इन्हें ऊपर अलग से शामिल किया गया है, हालांकि इन लेखाओं में इनको अन्यत्र इस सैक्टर के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।

⁴प्राप्तियों से ऊपर व्यय का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से बिल्कुल अलग है अर्थात् राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है।

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

दायित्व	संदर्भ (क्र.सं.)		(₹ करोड़ में)	
	लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण		6,17	3,14,94.03	2,68,60.93
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम आयोजनेतर ऋण		6,17	4.23	4.85
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण		6,17	10,72.07	10,44.07
अन्य ऋण		6,17	0.13	0.13
आकस्मिकता निधि (कॉरपस)		21	5.00	5.00
लोक लेखा पर दायित्व				
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि		21	1,18,44.41	1,06,39.90
(ii) आरक्षित निधियां		21	2,19.57	2,19.32
(iii) जमा		21	26,09.04	24,27.68
(iv) प्रेषण शेष		21	3,28.22	3,63.45
(v) उचन्त तथा विविध शेष *		21	1,92.17	2,63.91
व्यय से ऊपर प्राप्ति का सन्वयी आधिक्य ।		
जोड़			4,77,68.87	4,18,29.24

* पृष्ठ संख्या 2 (खण्ड-1), पर पाद टिप्पणी 3 देखें

2. प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2016-2017	2015-2016		2016-2017	2015-2016
भाग-1 समेकित निधि					
शाखा क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)	2,62,64.34*	2,34,40.48	राजस्व संवितरण (विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)	2,53,44.22	2,23,02.81
कर राजस्व (राज्य द्वारा (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)	70,39.05	66,95.81	वेतन ¹ (विवरणी संख्या 4-ख व परिशिष्ट -I देखें।)	93,56.07	79,50.27
कर-भिन्न राजस्व (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)	17,17.24*	18,37.15	सहायता अनुदान ² (विवरणी संख्या 4-ख, 10 व परिशिष्ट -III देखें।)	33,44.62	26,02.32
			सहायता (परिशिष्ट -II देखें।)	7,63.96	13,46.08
ब्याज प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)	1,45.56	93.84	सामान्य सेवाएं	80,04.09	73,46.65
			पेंशन (विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)	41,14.17	38,36.44
			ब्याज अदायगियां और ऋण सेवायें (विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)	33,58.91	31,55.00
'अन्य (विवरणी संख्या 3-क देखें।)	15,71.68	17,43.31	'अन्य (विवरणी संख्या 4-क देखें।)	5,31.01	3,55.21
संघीय शुल्क/कर के अंश (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)	43,43.70	36,11.17	सामाजिक सेवाएं	24,25.50	21,01.98
			आर्थिक सेवाएं	14,39.95	9,45.55
			स्थानीय निकायों और पंचायती राज	10.03	9.96
केन्द्र सरकार से अनुदान (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)	1,31,64.35	1,12,96.35	संस्थाओं का क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन (विवरणी संख्या 4-क व 15 देखें।)		
राजस्व घाटा(-)	राजस्व आधिक्य	9,20.12*	11,37.67
शाखा ख- पूंजीगत					
पूंजीगत प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)	पूंजीगत व्यय (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)	34,99.03	28,64.49
			सामान्य सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)	2,08.37	88.51
			सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)	10,41.06	7,92.02
			आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)	22,49.60	19,83.96
ऋणों एवं अग्रिमों आदि की वसूली (विवरणी संख्या 3, 7 व 18 देखें।)	29.50	25.90	ऋणों और अग्रिमों के भुगतान (विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें।)	32,89.69	4,63.16
सामान्य सेवायें (विवरणी संख्या 18 देखें।)	सामान्य सेवायें (विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें।)
सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 18 देखें।)	4.15	2.20	सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें।)	1.00	0.35
आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 18 देखें।)	16.56	15.24	आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें।)	32,81.66	4,49.39
अन्य सेवाएं (विवरणी संख्या 18 देखें।)	8.79	8.46	अन्य सेवाएं (विवरणी संख्या 18 देखें।)	7.03	13.42

¹ सभी खण्डों के वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान के आंकड़े, जोड़ कर समेकित राशि दर्शाते हैं। इस विवरणी में खण्ड 'सामाजिक', सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी 2) राजस्व व्यय तथा वेतन पूंजीगत परिव्यय शामिल नहीं है। किसी समय वेतन पूंजीगत परिव्यय में दर्शाए जाते। आंकड़े, केवल उद्देश्य 'वेतन' के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय को दर्शाते हैं। (आर.ओ.पी. रहित)

² सांघिक निगम, कम्पनियों, स्वायत्त संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जाता है जिसे उपरोक्त पंक्ति में दर्शाया गया है। यह अनुदान स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कर समानुदेशित निवल आय से भिन्न हैं जिसे अलग से स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

* इनमें ₹1.49 करोड़ बुक समायोजन की राशि सम्मिलित है, पृष्ठ संख्या 56 (खण्ड-II) पर पाद टिप्पणी देखें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2016-2017	2015-2016		2016-2017	2015-2016
शाखा ख- पूंजीगत					
लोक ऋण प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	86,03.31	61,29.21	लोक ऋण संवितरण (विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें)	39,42.84	39,47.74
आंतरिक ऋण ^६ (बाजार ऋण; एन एस एस एफ इत्यादि) (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	85,02.01	60,79.69	आंतरिक ऋण ^३ (बाजार ऋण, एन एस एस एफ इत्यादि) (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	38,68.91	38,76.40
केन्द्र सरकार से ऋण (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	1,01.30	49.52	केन्द्र सरकार से ऋण (विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें)	73.93	71.34
अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)	अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)
जोड़ समेकित निधि प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 देखें)	3,48,97.15*	2,95,95.59	जोड़ समेकित निधि संवितरण (विवरणी संख्या 4 देखें)	3,60,75.78	2,95,78.20
समेकित निधि में घाटा	11,78.63	...	समेकित निधि में आधिक्य	...	17.39
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	आकस्मिकता निधि (विवरणी संख्या 21 देखें)
भाग-III लोक लेखा^३					
लघु बचत (विवरणी संख्या 21 देखें)	34,02.37	31,15.93	लघु बचत (विवरणी संख्या 21 देखें)	21,97.86	23,97.50
आरक्षित ऋण परिशोध कोष (विवरणी संख्या 21 देखें)	2,49.00	2,34.99	आरक्षित ऋण परिशोध कोष (विवरणी संख्या 21 देखें)	2,48.75	2,44.14
जमा (विवरणी संख्या 21 देखें)	26,64.73	23,44.83	जमा (विवरणी संख्या 21 देखें)	24,83.36	22,29.97
अग्रिम (विवरणी संख्या 21 देखें)	62.66	63.52	अग्रिम (विवरणी संख्या 21 देखें)	62.66	63.52
उचन्त तथा विविध (विवरणी संख्या 21 देखें)	2,58,66.54	2,07,00.23	उचन्त तथा विविध ^४ (विवरणी संख्या 21 देखें)	2,61,41.32	2,12,90.58
प्रेषण (विवरणी संख्या 21 देखें)	64,51.31	51,39.18	प्रेषण (विवरणी संख्या 21 देखें)	64,86.54	49,91.61
जोड़ संवितरण लोक लेखा (विवरणी संख्या 21 देखें)	3,86,96.61	3,15,98.68	जोड़ संवितरण लोक लेखा (विवरणी संख्या 21 देखें)	3,76,20.49	3,12,17.32
लोक लेखा में घाटा	लोक लेखा में आधिक्य	10,76.12	3,81.36
आदि रोकड़ शेष	(-)3,40.76	(-)7,39.51	अन्त रोकड़ शेष	(-)4,43.27	(-)3,40.76
रोकड़ शेष में वृद्धि	(-)1,02.51	...	रोकड़ शेष में कमी	...	(-)3,98.75

[3] विस्तृत विवरण के लिए विवरणी संख्या 6 व 17 देखें।

[4] अन्य लेखे जैसे कि नगद शेष लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादी उचन्त तथा विविध में सम्मिलित है। इन अन्य लेखे की वजह से आंकड़े अत्यधिक प्रतीत हो सकते

है। कृपया विवरण विवरणी संख्या 21 में देखें।

* विवरण के लिए * पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या 4(खण्ड-1) पर देखें।

^६ इनमें केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि का ₹5,00.77 करोड़ शामिल है।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध
रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

	1 अप्रैल 2016को	31 मार्च 2017 को
	1	2
	(₹करोड़ में)	
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषागारों में रोकड़
(2) पारगमन में प्रेषण-स्थानीय
(3) रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां *	(-)3,40.76	(-)4,43.27(क)
जोड़	(-)3,40.76	
(4) नगद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश-	5,56.80	7,59.43
जोड़ (क)	2,16.04	3,16.16
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश-		
(1) विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण कार्यों इत्यादि के पास रोकड़	0.16	0.16
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03
जोड़(ख)	0.19	0.19
जोड़ (क) और (ख)	2,16.23	3,16.35

*शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के अधीन जो शेष पड़ा है वह मई 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक को संज्ञापित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेने देनों से सम्बद्ध अन्तर्संरकारी मौद्रिक समाधानों को लिए जाने के पश्चात आया है।

(क) लेखे में दर्शाए ₹ 4,43.27 करोड़ (जमा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों ₹ 4,34.67 करोड़ (नामे) में ₹ 8.60 करोड़ (जमा) का अन्तर है, ₹ 18.03 करोड़ (नामे) के अन्तर का समाधान हो चुका है तथा ₹ 9.43 करोड़ (नामे) का बकाया अन्तर समाधानाधीन है। (मई 2017)

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध
रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश
व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) **नगदी तथा नगदी तुल्यमानः-** नगदी तथा नगदी तुल्यमानों के अन्तर्गत कोषागारों में पड़ी नगदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास पड़ी जमा राशि तथा पारगमन प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, समाहित होते हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास पड़ी जमा राशि' उपरोक्त में पड़ा शेष वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेषों को इंगित करता है। समग्र नगदी स्थिती का पता लगाने के लिए कोषागारों, विभागों के रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों आदि में से किए गए निवेशों को 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के शेष में जोड़ा गया है।

(ख) **दैनिक नगदी शेषः-** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार को बैंक के पास ₹0.55 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना पड़ता है। यदि किसी दिन भी यह शेष अनुबंधित न्यूनतम शेष से कम हो जाए तो इस कमी को साधारण तथा विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट प्रदान किए जाने के उद्देश्य के लिए दैनिक नगदी शेष* निकाले जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिवस हेतु रिपोर्ट किए गए लेन-देनों सहित (भारतीय रिजर्व बैंक पटलों, एजेंसी बैंकों द्वारा सूचित अर्न्तसरकारी लेनदेनों तथा कोष लेनदेनों पर) 14-दिवसीय खजाना बिलों की अतिधारिता का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार निकाले गए नगदी शेष में 14-दिवसीय खजाना बिलों, यदि कोई हो, की पूर्णता राशि जमा की जाती है तथा न्यूनतम नगदी शेष रखने के पश्चात अधिक राशि यदि कोई हो, का खजाना बिलों में पुनर्निवेश किया जाता है। यदि निकाला गया शुद्ध नगदी शेष, न्यूनतम नगदी शेष या क्रेडिट शेष से कम आता है तथा यदि उस दिवस को कोई भी 14-दिवसीय खजाना बिलों की पूर्णता नहीं हो रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय खजाना बिलों की कोई अतिधारिता नहीं है तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिमों/विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

(ग) **अर्थोपाय अग्रिमः-** राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा 01.02.2016 से ₹5,50.00 करोड़ थी। सरकारी प्रतिभूतियों की प्रज्ञाप्ति के अधीन विशेष आहरण सुविधा को प्रदान किए जाने की सहमति बैंक द्वारा भी दी गई है। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष आहरण सुविधा की सीमा में संशोधन किया जाता है।

* उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) वर्ष के 31 मार्च 2017 का, परन्तु मई 2017 को निकाला गया, अन्त नगदी शेष है तथा साधारणतः 31 मार्च 2017 का दैनिक शेष नहीं है।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध
रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश
व्याख्यात्मक टिप्पणी

वर्ष 2016-17 के दौरान रिजर्व बैंक के पास सरकार ने जो न्यूनतम नगद शेष रखा था, उसका वर्णन इस प्रकार है:-

(i) कोई भी अग्रिम लिए बिना जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया था	342
(ii) साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया	23
(iii) विशेष आहरण सुविधा लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	...
(iv) उपरोक्त अग्रिमों को लिए जाने के उपरान्त भी, लेकिन कोई ओवरड्राफ्ट लिए बिना, जितने दिनों न्यूनतम शेष में कमी रही	...
(v) जितने दिनों ओवरड्राफ्ट लिया गया	...

रोकड़ शेष की कमी को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार के 14 दिन के खजाना बिलों को 187 अवसरों पर ₹2,47,77.36 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष के दौरान 187 अवसरों पर ₹2,45,74.73 करोड़ रिडिस्काउंट किये और सरकार के 91 दिन के खजाना बिलों को एक अवसर पर ₹4,91.95 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष के दौरान एक अवसर पर ₹4,91.95 करोड़ रिडिस्काउंट किये।

रोकड़ शेष निवेश लेख में रखे गए निवेशों का विश्लेषण निम्नवत् है:-

	1 अप्रैल 2016 को आदि शेष	वर्ष 2016-17 के दौरान खरीद	वर्ष 2016-17 के दौरान बिक्री	31 मार्च 2017 को शेष	वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज वसूली
1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)
भारत सरकार के खजाना बिल	5,56.80	2,52,69.31	2,50,66.68	7,59.43	53.30
जोड़	5,56.80	2,52,69.31	2,50,66.68	7,59.43	53.30

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2016-17	2015-16
क	कर राजस्व		
क 1	निजी कर राजस्व	70,39.05	66,95.81
	बिक्री कर (बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर)	43,81.91	39,92.99
	राज्य आबकारी	13,07.87	11,31.22
	अन्य कर	7,39.16	9,33.75
	वाहनों पर कर	2,79.58	3,17.05
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	2,09.16	2,05.52
	माल एवं यात्री कर	1,21.37	1,15.28
क 2	कर निवल आगमों का अंश	43,43.70	36,11.17
	निगम कर	13,93.48	11,35.61
	निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	9,68.47	7,86.68
	सेवा कर	6,94.64	6,21.90
	संघीय उत्पाद शुल्क	6,84.49	4,84.57
	सीमा शुल्क	5,99.42	5,79.13
	सम्पत्ति कर	3.19	0.32
	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-	0.01	2.93
	आय एवं व्यय पर अन्य कर	...	0.03
	जोड़- क कर राजस्व	1,13,82.75	1,03,06.98
ख	कर-भिन्न राजस्व		
	विद्युत	6,50.93	9,23.68
	लाभांश एवं लाभ	2,89.63	1,11.94
	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1,76.22	1,55.08
	ब्याज प्राप्तियाँ	1,45.56	93.85
	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	1,12.22	2,06.37
	लोक निर्माण कार्य	54.60	43.00
	पुलिस	50.50	48.54
	जल आपूर्ति और स्वच्छता	46.82	41.80
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	42.63	32.81
	वानिकी एवं वन्य प्राणी	18.50	34.47
	लोक सेवा आयोग	15.54	7.03
	सड़कें एवं पुल	14.52	10.57
	सहकारिता	12.51	14.77
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	10.71	5.72
	लेखन सामग्री और मुद्रण	8.55	8.32
	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों से सम्बन्धित अंशदान और वसूलियाँ	7.80	5.71
	श्रम और रोजगार	7.19	7.32
	शहरी विकास	7.12	6.80
	फसल कृषि-कर्म	5.83	14.21
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5.57	6.40
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.53	5.04
	विविध सामान्य सेवाएं	2.35*	19.37
	मत्स्य पालन	4.27	3.98
	सिविल पूर्ति	4.22	0.07
	आवास	3.85	3.57

* पृष्ठ संख्या 56* (खण्ड -II) पर में पाद टिप्पणी देखें।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

ख	विवरण	2016-17	2015-16
	कर-भिन्न राजस्व		
	उद्योग	3.82	4.65
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.46	3.78
	सूचना और प्रचार	1.91	1.25
	लघु सिंचाई	1.30	0.94
	पशुपालन	1.10	0.93
	पर्यटन	0.76	0.90
	ग्रामीण और लघु उद्योग	0.65	11.03
	सड़क परिवहन	0.64	0.38
	अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	0.48	1.12
	मध्यम सिंचाई	0.26	0.04
	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार	0.20	0.53
	जेल	0.16	0.27
	मुख्य सिंचाई	0.13	0.16
	अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	0.10	0.33
	आपूर्ति और निपटान	0.04	0.04
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.03	0.09
	परिवार कल्याण	0.02	0.02
	पौधारोपण	0.01	...
	भूमि सुधार	..	0.27
	जोड़ - ख कर-भिन्न राजस्व	17,17.24**	18,37.15
II -भारत सरकार से सहायता अनुदान			
ग	सहायता अनुदान एवं अंशदान		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
ग-1	आयोजनेतर अनुदान	88,77.19	85,24.32
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अन्तर्गत अनुदान	85,72.77	82,23.75
	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान के लिए अनुदान	2,23.20	2,12.72
	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत अनुदान	81.22	82.22
	अन्य अनुदान	..	5.63
ग-2	राज्य/संघ क्षेत्रों योजना स्कीमों के लिए अनुदान	11,87.48	7,55.52
	खण्ड अनुदान (वाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)*	11,87.48	7,55.52
ग-3	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	44.45	37.96
ग-4	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	30,55.23	19,78.55
	जोड़ - ग सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,31,64.35	1,12,96.35
	जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	2,62,64.34**	2,34,40.48

* इनमें ₹9,11.68 करोड़ वर्ष 2016-17 में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना की राशि सम्मिलित है।

** पृष्ठ संख्या 4* (खण्ड-I) में पाद टिप्पणी देखें।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

III -पूँजीगत, लोक ऋण व अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		2016-17	2015-16
घ	पूँजीगत प्राप्तियां		
	विनिवेश प्राप्तियां
	जोड़ घ पूँजीगत प्राप्तियां
ड.	लोक ऋण प्राप्तियां		
	आन्तरिक ऋण प्राप्तियां	85,02.01	60,79.69
	बाजार ऋण	34,00.00	24,50.00
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम ¹	16,70.72	17,85.41
	बांड	28,90.50	...
	वित्तीय संस्थानों से ऋण	5,40.79	5,37.11
	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	..	13,07.17
	अन्य ऋण
	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	1,01.30	49.52
	राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	1,01.30	49.52
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण
	अन्य ऋण
	जोड़ ड.-लोक ऋण	86,03.31	61,29.21
च	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण (वसूलियां)*	29.50	25.90
छ	अन्तर्राज्यीय समाधान
समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)		3,48,97.15	2,95,95.59

*विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 18 खण्ड-II देखें ।

** विवरण के लिए * पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या-4 (खण्ड-I) देखें ।

1 डब्ल्यू.एम.एः अर्थोपाय अग्रिम

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
क सामान्य सेवाएं				
क.1 राज्य के अंग	2,57.57	2,57.57
संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल	30.18	30.18
राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति /राज्यपाल/ संघशासित क्षेत्रों के प्रशासक	5.95	5.95
मन्त्री परिषद	16.20	16.20
न्याय प्रशासन	1,74.94	1,74.94
निर्वाचन	30.30	30.30
क.2 राजकोषीय सेवाएं	2,42.17	2,42.17
भू-राजस्व	1,62.47	1,62.47
स्टाम्प और पंजीकरण	23.04	23.04
राज्य उत्पाद शुल्क	6.03	6.03
वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	4.28	4.28
वाहनों पर कर	2.95	2.95
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	42.24	42.24
अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.16	1.16
क.3 ब्याज भुगतान	33,58.91	33,58.91
ब्याज अदायगियां	33,58.91	33,58.91
क.4 प्रशासनिक सेवाएं	17,31.20	2,08.37	..	19,39.57
लोक सेवा आयोग	15.25	15.25
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	73.47	73.47
जिला प्रशासन	1,71.26	1,71.26
कोषागार और लेखा प्रशासन	50.18	50.18
पुलिस	9,70.01	42.35	..	10,12.36
जेल	29.24	29.24
आपूर्ति और निपटान	1.36	1.36
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	23.26	23.26
लोक निर्माण कार्य	2,66.56	1,53.40	..	4,19.96
सतर्कता	26.05	26.05
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,04.56	12.62	..	1,17.18
क. 5 पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	41,38.12	41,38.12
पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	41,14.17	41,14.17
विविध सामान्य सेवाएं	23.95	23.95
जोड़-सामान्य सेवाएं	97,27.97	2,08.37	..	99,36.34
ख सामाजिक सेवाएं-				
ख.1 शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति	49,45.19	2,95.73	1.00	52,41.92
सामान्य शिक्षा	48,56.46	2,95.73	1.00	51,53.19
तकनीकी शिक्षा	51.92	51.92
क्रीड़ा और युवा सेवाएं	19.24	19.24
कला और संस्कृति	17.57	17.57
ख.2 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	15,01.32	2,85.53	..	17,86.85
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	11,90.24	2,85.53	..	14,75.77
परिवार कल्याण	3,11.08	3,11.08

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़	
ख	सामाजिक सेवाएं-				
ख.3	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	17,77.25	4,33.73	..	22,10.98
	जलापूर्ति, स्वच्छता,	11,37.44	3,92.57	..	15,30.01
	आवास	91.28	39.78	..	1,31.06
	शहरी विकास	5,48.53	1.38	..	5,49.91
ख.4	सूचना तथा प्रसारण	44.42	0.77	..	45.19
	सूचना तथा प्रचार	44.42	0.77	..	45.19
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	62.77	8.64	..	71.41
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	62.77	8.64	..	71.41
ख.6	श्रम और श्रम कल्याण	1,23.18	1,23.18
	श्रम और रोजगार	1,23.18	1,23.18
ख.7	सामाजिक कल्याण और पोषण	11,34.33	15.92	..	11,50.25
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7,42.21	15.92	..	7,58.13
	पोषण	61.56	61.56
	प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	3,30.56	3,30.56
ख.8	अन्य	21.45	0.75	..	22.20
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.90	0.75	..	1.65
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	20.55	20.55
	जोड़-सामाजिक सेवाएं	96,09.91	10,41.06	1.00	1,06,51.97
ग.	आर्थिक सेवाएं				
ग.1	कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप	16,78.17	50.45	39.79	17,68.41
	फसल कृषि-कर्म	4,36.03	1.49	..	4,37.52
	मृदा तथा जल संरक्षण	60.52	30.90	..	91.42
	पशुपालन	2,92.34	4.88	..	2,97.22
	डेरी विकास	16.97	16.97
	मत्स्य पालन	25.44	3.20	..	28.64
	वानिकी और वन्य प्राणी	4,12.56	6.67	..	4,19.23
	पौधारोपण	1.28	1.28
	खाद्य भण्डारण और भाण्डागार	1,80.99	3.15	..	1,84.14
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,05.78	2,05.78
	सहकारिता	36.26	0.16	39.79	76.21
	अन्य कृषि कार्यक्रम	10.00	10.00
ग.2	ग्रामीण विकास	11,78.79	3.49	..	11,82.28
	ग्रामीण विकासार्थ विशेष कार्यक्रम	1,21.06	1,21.06
	ग्रामीण रोजगार	3,43.02	3,43.02
	भूमि सुधार	5.17	5.17
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7,09.54	3.49	..	7,13.03
ग.3	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	4,61.83	2,01.37	..	6,63.20
	मुख्य सिंचाई	12.61	12.61
	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	37.78	30.17	..	67.95

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ग. आर्थिक सेवाएं समाप्त				
ग.3 सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण				
लघु सिंचाई	3,90.57	80.26	..	4,70.83
बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास	14.30	62.26	..	76.56
कमाण्ड क्षेत्र विकास	6.57	28.68	..	35.25
ग.4 ऊर्जा	8,22.29	2,02.78	32,28.81	42,53.88
बिजली	8,18.18	2,02.78	32,28.81	42,49.77
ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत	4.11	4.11
ग.5 उद्योग और खनिज	1,21.52	56.32	13.06	1,90.90
ग्रामीण तथा लघु उद्योग	99.87	56.32	..	1,56.19
उद्योग	13.53	13.53
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	8.12	8.12
उद्योग और खनिज पर अन्य परिव्यय	13.06	13.06
ग.6 परिवहन	15,46.41	15,83.61	..	31,30.02
नागरिक विमानन	0.36	4.07	..	4.43
सड़कें और पुल	12,57.11	14,57.54	..	27,14.65
सड़क परिवहन	2,88.87	65.00	..	3,53.87
अन्तर्देशीय जल परिवहन	0.07	0.07
रेलवे को ऋण	..	57.00	..	57.00
ग.7 विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	9.52	9.52
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	9.27	9.27
परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण	0.25	0.25
ग.8 सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,77.78	1,51.58	..	3,29.36
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	37.30	37.30
पर्यटन	1,15.00	3.76	..	1,18.76
जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	9.18	9.18
नागरिक आपूर्ति	13.91	13.91
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.39	1,47.82	..	1,50.21
जोड़ - ग आर्थिक सेवाएं	59,96.31	22,49.60	32,81.66	1,15,27.57
घ. ऋण, सहायता अनुदान और अंशदान				
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	10.03	10.03
जोड़-ऋण, सहायता अनुदान और अंशदान	10.03	10.03
ड. सरकारी कर्मचारियों को ऋण				
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-	7.03	7.03
जोड़-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	7.03	7.03
च. लोक ऋण				
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	38,68.91	38,68.91
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	73.93	73.93
जोड़-लोक ऋण	39,42.84	39,42.84
जोड़-समेकित निधि व्यय	2,53,44.22	34,99.03	72,32.53	3,60,75.78

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

ख. व्यय की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

व्यय का विवरण	2016-17			2015-16			2014-15		
	राजस्व	पूँजीगत	जोड़	राजस्व	पूँजीगत	जोड़	राजस्व	पूँजीगत	जोड़
वेतन	93,56.07	..	93,56.07	79,50.27	...	79,50.27	81,95.49	...	81,95.49
पेंशन	41,14.17	..	41,14.17	38,36.44	...	38,36.44	29,14.49	...	29,14.49
ब्याज	33,58.91	..	33,58.91	31,55.00	...	31,55.00	28,49.14	...	28,49.14
मुरम्मत	17,82.76	..	17,82.76	16,47.22	...	16,47.22	17,52.76	...	17,52.76
सहायता अनुदान (गैर वेतन)	13,81.55	0.49	13,81.55	12,64.70	...	12,64.70	10,42.28	...	10,42.28
उचन्त	13,48.00	..	13,48.00	10,35.78	...	10,35.78	11,13.41	...	11,13.41
सहायता अनुदान	10,00.81*	..	10,00.81	8,12.95	...	8,12.95	7,01.06	...	7,01.06
पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान	9,72.29	1.84	9,74.13	5,34.63	...	5,34.63	4,12.84	...	4,12.84
अन्य प्रभार	7,98.17	..	7,98.17	10,75.03	...	10,75.03	4,92.82	...	4,92.82
उपदान	7,63.96	..	7,63.96	13,46.08	...	13,46.08	8,01.34	...	8,01.34
उर्जा प्रभार	6,73.27	..	6,73.27	4,30.02	...	4,30.02	2,60.01	...	2,60.01
मुआवजा	4,56.81	88.47	5,45.28	...	71.19	71.19	...	52.66	52.66
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	3,51.56	..	3,51.56	2,92.11	...	2,92.11	2,32.35	...	2,32.35
सामग्री एवं आपूर्ति	3,35.38	45.51	3,80.89	3,27.57	50.85	3,78.42	3,10.32	45.89	3,56.21
मजदूरी	3,25.60	..	3,25.60	2,23.86	...	2,23.86	2,22.81	...	2,22.81
कार्यालय व्यय	1,55.37	..	1,55.37	1,33.15	...	1,33.15	1,64.67	...	1,64.67
मानदेय	1,45.04	..	1,45.04	1,45.80	...	1,45.80	1,49.93	...	1,49.93
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,38.54	..	1,38.54	1,36.01	...	1,36.01	1,24.34	...	1,24.34
छात्रवृत्ति, वजीफा एवं रियायत	81.42	..	81.42	93.68	...	93.68	73.12	...	73.12
लघु कार्य	67.29	..	67.29	34.75	...	34.75	38.73	...	38.73
ब्याज पर उपदान	55.76	..	55.76	55.73	...	55.73	55.67	...	55.67
मशीनरी व उपस्कर	44.87	..	44.87	46.99	...	46.99	54.95	...	54.95
यात्रा व्यय	43.12	..	43.12	43.33	...	43.33	43.38	...	43.38
मोटर वाहन	39.99	..	39.99	36.89	...	36.89	36.24	...	36.24
विज्ञापन एवं प्रचार	33.25	..	33.25	22.12	...	22.12	20.71	...	20.71
किराया, कर एवं उपकर	24.61	..	24.61	15.31	...	15.31	11.20	...	11.20
व्यवसायिक तथा विशेष सेवाएँ	21.18	..	21.18	18.11	...	18.11	12.06	...	12.06
अन्य	19.25	8.82	28.07	19.21	9.40	28.61	22.34	5.50	28.20
आऊट सोर्स	17.48	..	17.48	15.29	...	15.29
भूमि	16.54	..	16.54	12.68	...	12.68
मुख्य कार्य	..	31,51.77	31,51.77	...	24,82.10	24,82.10	...	20,66.27	20,66.27
निवेश	..	2,55.12	2,55.12	...	3,11.03	3,11.03	...	359.21	3,59.21
सकल राशि	2,79,23.02	35,52.02	3,14,75.04	2,47,60.73	29,24.57	2,76,85.30	2,21,08.46	25,29.53	2,46,37.99
घटाएँ-वसूली	25,78.80	52.99	26,31.79	24,57.92	60.06	25,17.98	23,21.41	56.64	23,78.05
जोड़	2,53,44.22	34,99.03	2,88,43.25	2,23,02.81	28,64.51	2,51,67.32	1,97,87.05	24,72.89	2,22,59.94

*इनमें ₹10.03 करोड़ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं (मुख्य शीर्ष-3604) को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन सम्मिलित है।

टिप्पणी:- कुल सहायता अनुदान ₹ 33,56.98 करोड़, {(सहायता अनुदान ₹10,00.81 करोड़ + सहायता अनुदान ₹13,81.55 करोड़ (गैर वेतन) + पूँजीगत निर्माण के लिए अनुदान ₹ 9,72.29 करोड़ राजस्व संवितरण}+(₹ 0.49 करोड़ सहायता अनुदान (गैर वेतन)+₹ 1.84 पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण(पूँजीगत संवितरण) }

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015-16 के दौरान व्यय	2015-16 तक प्रगामी व्यय	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि(+)/कमी(-) प्रतिशतता में
	1	2	3	4	5	6
क.	सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-				(₹ करोड़ में)	
4055-	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	22.71	2,35.87	42.35	2,78.22	(+)86.48
4058-	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.70	...	3.70	..
4059-	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	61.45	7,93.84	1,53.40	9,47.24	(+)149.63
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.35	20.23	12.62	32.85	(+)190.11
	जोड़-क. सामान्य सेवाएं	88.51	10,53.64	2,08.37	12,62.01	(+)135.42
ख.	सामाजिक सेवाएं(क, ख, ग, घ, ङ, छ, ज)					
(क)	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति					
4202-	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2,99.30	21,80.53	2,95.73	24,76.26	(-)1.19
	जोड़- ख (क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा	2,99.30	21,80.53	2,95.73	24,76.26	(-)1.19
(ख)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
4210-	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,17.22	9,94.09	2,85.53	12,79.62	(+)143.58
4211-	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	33.22	...	33.22	..
	जोड़- ख (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,17.22	10,27.31	2,85.53	13,12.84	(+)143.58
(ग)	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास					
4215-	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	3,17.98	46,16.28	3,92.57	50,08.85	(+)23.46
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	35.62	7,87.20	39.77	8,26.97	(+)11.65
4217-	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.79	95.26	1.38	96.64	(+)74.68
	जोड़- ख (ग) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	3,54.39	54,98.74	4,33.72	59,32.46	(+)22.38
(घ)	सूचना एवं प्रसारण					
4220-	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.98	7.83	0.77	8.60	(-)21.43
	जोड़- ख (घ) सूचना एवं प्रसारण	0.98	7.83	0.77	8.60	(-)21.43

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015-16 के दौरान व्यय	2015-16 तक प्रगामी व्यय	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि(+)/कमी(-) प्रतिशतता में
	1	2	3	4	5	6
(₹ करोड़ में)						
ख.	सामाजिक सेवाएं समाप्त					
(इ)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण					
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का पर पूंजीगत परिव्यय	6.63	1,75.91	8.64	1,84.55	(+)30.32
	जोड़- ख (इ.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.63	1,75.91	8.64	1,84.55	(+)30.32
(छ)	सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार					
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	12.90	83.19	15.92	99.11	(+)23.41
	जोड़- ख (छ) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार	12.90	83.19	15.92	99.11	(+)23.41
(ज)	अन्य सामाजिक सेवाएं					
4250-	अन्य सामाजिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय	0.60	7.67	0.75	8.42	(+)25.00
	जोड़- ख (ज) अन्य सामाजिक सेवाएं	0.60	7.67	0.75	8.42	(+)25.00
	जोड़-ख-सामाजिक सेवाएं	7,92.02	89,81.18	10,41.06	1,00,22.24	(+)31.44
ग.	आर्थिक सेवाएं (क, ख, घ, इ, च, छ, ज)					
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप					
4401-	फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	-1.69	74.06	1.49	75.55	(+)188.17
4402-	भू तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	28.90	3,49.63	30.90	3,80.53	(+)6.92
4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	5.13	90.64	4.88	95.52	(-)4.87
4404-	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.38	...	5.38	..
4405-	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.35	31.72	3.20	34.92	(+)137.04
4406-	वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय	9.42	1,22.51	6.67	1,29.18	(-)29.19
4408-	खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	4.71	26.36	3.15	29.51	(-)33.12
4415-	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.42	...	3.42	..
4416-	कृषि वित्तीय संस्थान पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.49	...	9.49	..

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015-16 के दौरान व्यय	2015-16 तक प्रगामी व्यय	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि(+)/कमी(-) प्रतिशतता में
	1	2	3	4	5	6
(₹ करोड़ में)						
ग.	आर्थिक सेवायें-क्रमशः					
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रम समाप्त					
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.18	77.70	0.16	77.86	(-)11.11
4435-	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.21	...	2.21	..
	जोड़-ग (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमलाप	48.00	7,93.12	50.45	8,43.57	(+)5.10
(ख)	ग्रामीण विकास					
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	4.61	20.93	3.49	24.42	(-)24.30
	जोड़-ग (ख) ग्रामीण विकास	4.61	20.93	3.49	24.42	(-)24.30
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण					
4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	2,73.19	...	2,73.19	..
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	4,75.14	30.17	5,05.31	(+)100.00
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	67.86	16,28.19	80.26	17,08.45	(+)18.27
4705-	कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	32.46	1,38.98	28.68	1,67.66	(-)11.65
4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	41.90	8,78.56	62.26	9,40.82	(+)48.59
	जोड़-ग (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	1,42.22	33,94.06	2,01.37	35,95.43	(+)41.59
(ङ.)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-					
4801-	विद्युत परियोजनाएं पर पूंजीगत परिव्यय	2,65.00	22,32.50	2,02.78	24,35.28	(-)23.48
	जोड़-ग (ङ.) ऊर्जा	2,65.00	22,32.50	2,02.78	24,35.28	(-)23.48
(च.)	उद्योग तथा खनिज					
4851-	ग्रामीण तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	64.94	2,63.09	56.32	3,19.41	(-)13.27
4853-	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.12	...	0.12	..
4858-	अभियंत्रिकी उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.87	...	3.87	..
4859-	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.97	...	2.97	..
4885-	उद्योगों तथा खनिज पर पूंजीगत परिव्यय	...	70.34	...	70.34	..
	जोड़-ग (च) उद्योग तथा खनिज	64.94	3,40.39	56.32	3,96.71	(-)13.27

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2015-16 के दौरान व्यय	2015-16 तक प्रगामी व्यय	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि(+)/कमी(-) प्रतिशतता में
	1	2	3	4	5	6
ग.	आर्थिक सेवाएं समाप्त					(₹ करोड़ में)
(छ)	परिवहन					
5002-	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइने पर पूंजीगत परिव्यय	...	12.00	57.00	69.00	(+)100.00
5053-	नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	1.20	83.52	4.07	87.59	(+)239.17
5054-	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय	12,73.74	86,99.12	14,57.54	1,01,56.66	(+)14.43
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	52.20	7,10.52	65.00	7,75.52	(+)24.52
5056-	अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.18	...	0.18	..
	जोड़-ग (छ) परिवहन	13,27.14	95,05.34	15,83.61	1,10,88.95	(+)19.33
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5.05	88.44	3.76	92.20	(-)25.54
5465-	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.29	...	3.29	..
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय	1,27.00	6,95.98	1,47.82	8,43.80	(+)16.39
	जोड़-ग (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,32.05	7,87.71	1,51.58	9,39.29	(+)14.79
	जोड़-ग-आर्थिक सेवाएं	19,83.96	1,70,74.14	22,49.60	1,93,23.74	(+)13.39
	सकल योग	28,64.49	2,71,08.86	34,99.03	3,06,07.89	(+)22.15

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सरकार ने वर्ष में 2016-17 सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹ 99.45 करोड़, सरकार तथा अन्य कम्पनियों में ₹ 0.39 करोड़ तथा अन्य सहकारी समितियों में ₹ 1,55.28 करोड़ का निवेश किया।

वर्ष के दौरान सहकारी बैंक के द्वारा ₹ 27.63 करोड़ सहकारी समितियों के द्वारा ₹ 1.99 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया तथा ₹ 0.02 करोड़ पिछले वर्ष की समाधान राशि को इस वर्ष जमा किया गया।

वर्ष ,2014-15,2015-16 और 2016-17 के अन्त तक विभिन्न प्रतिष्ठानों की शेयर पूंजी एवं ऋण पत्रों में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 27,31.65 करोड़, ₹ 30,40.67 करोड़, तथा ₹ 32,93.53 करोड़, था। उन पर वर्ष ,2014-15,2015-16 और 2016-17 के अन्त तक क्रमशः ₹ 171.00 करोड़, ₹ 1,11.94 करोड़, तथा ₹ 2,89.63 करोड़ लाभांश प्राप्त किया।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी 1

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2017 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ निवल कमी (-)		प्रतिशतता कुल दायित्व
					राशि	प्रतिशत	
(₹ करोड़ में)							
क. लोक ऋण							
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण							
बाजार ऋण	1,68,60.42	34,00.00	12,37.35	1,90,23.07	(+)21,62.65	(+)12.83	40.27
मुआवजा तथा अन्य बॉण्ड	...	28,90.50	...	28,90.50	(+)28,90.50	(+)1,00.00	6.12
वित्तीय संस्थानों से ऋण	23,49.72	5,40.79	4,60.07	24,30.44	(+)80.72	(+)3.44	5.14
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभुतियां	76,50.79	...	5,00.77	71,50.02	(-)5,00.77	(-)6.54	15.13
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	...	16,70.72	16,70.72
जोड़-6003	2,68,60.93	85,02.01	38,68.91	3,14,94.03	(+)46,33.10	(+)17.25	66.66
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम							
01-आयोजनेतर ऋण							
201-गृह निर्माण अग्रिम	0.55	...	0.18	0.37	(-)0.18	(-)32.73	...
800-अन्य ऋण	4.30	...	0.44	3.86	(-)0.44	(-)10.47	0.01
जोड़-01	4.85	...	0.62	4.23	(-)0.62	(-)12.78	0.01
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम							
02-राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण							
101- ब्लाक ऋण	6,70.19	1,01.30	28.01	7,43.48	(+)73.29	(+)10.94	1.57
105- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसूच समेकित राज्य योजनागत ऋण	3,73.89	...	45.30	3,28.59	(-)45.30	(-)12.12	0.70
जोड़-02	10,44.08	1,01.30	73.31	10,72.07	(+)27.99	(+)2.68	2.27

¹विस्तृत लेखे के लिए पृष्ठ 147 से 149 (खण्ड- II) देखें।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2016 को वर्ष के दौरान प्राप्ति		वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2017 को		निवल वृद्धि (+)/ निवल कमी (-)		प्रतिशतता कुल दायित्व
	शेष			शेष		राशि	प्रतिशत	
क. लोक ऋण समाप्त								
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम								
07-1984-85 से पूर्वकालिक ऋण								
102-राष्ट्रीय ऋण छत्रवृत्ति स्कीम	0.13	0.13
जोड़-07	0.13	0.13
जोड़-6004	10,49.06	1,01.30	73.93	10,76.43	(+)27.37	(+)2.61	2.28	
जोड़-क लोक ऋण	2,79,09.99	86,03.31	39,42.84	3,25,70.46	(+)46,60.47	(+)16.70	68.94	
ख-अन्य दायित्व								
लोक लेखा								
लघु बचतें भविष्य निधियां आदि	1,06,39.90	34,02.37	21,97.86	1,18,44.41	(+)12,04.51	(+)11.32	25.07	
सब्याज आरक्षित निधियां	0.72	2,48.98	2,48.76	0.94	(+)0.22	(+)30.56	...	
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	2,18.61	0.01	...	2,18.62	(+)0.01	(+)100.00	0.46	
सब्याज जमा राशियां	8.39	2,28.02	2,28.33	8.08	(-)0.31	(-)3.69	0.02	
ब्याज रहित जमा राशियां	24,19.83	24,36.71	22,55.03	26,01.51	(+)11,81.68	(+)7.51	5.51	
जोड़-ख-अन्य दायित्व	1,32,87.45	63,16.09	49,29.98	1,46,73.56	(+)13,86.11	(+)10.43	31.06	
जोड़-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	4,11,97.44	1,49,19.40	88,72.82	4,72,44.02	(+)60,46.58	(+)14.68	100.00	

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. ऋण परिशोधन के लिए प्रबन्ध:- खुले बाजार में लिए गए ऋणों के परिशोधन के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किए गए हैं-

2. लघु/बचत निधि से ऋण:- लघु बचत योजना तथा डाकघरों में 'लोक भविष्य निधि', एकत्रित राशि में प्राप्त ऋण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा 3:1 अनुपात में सांझा किया जाता है। 1999-2000 में एक अलग निधि 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' का 'लघु बचत संचित' राशि में से ऋण जारी करने हेतु एक अलग निधि जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि का सृजन किया गया। 2016-17 में ₹5,00.77 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के अन्त तक शेष राशि ₹71,50.02 करोड़ जो कि कुल लोक ऋण का 31 मार्च, 2017 तक राज्य सरकार की कुल लोक ऋण का 22.70 प्रतिशत है।

3. राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, बाजार ऋण इत्यादि

(क) बाजार ऋण:- खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने 5 ऋण ₹ 7,00.00 करोड़, ₹ 3,00.00 करोड़, ₹ 10,00.00 करोड़, ₹7,00.00 करोड़, ₹7,00.00 करोड़, क्रमशः 7.17 प्रतिशत, 7.39 प्रतिशत, 7.25 प्रतिशत, 7.62 प्रतिशत, 7.91 प्रतिशत, वार्षिक ब्याज की दर से समतुल्य ऋण जारी किए जो नगद वसूल हुए। ये ऋण अक्तूबर 2026, नवम्बर 2026, जनवरी 2027, मार्च 2027 तथा मार्च 2027 में विमोच्य है।

6 दीर्घकालीन ऋण अर्थात् 7.74 प्रतिशत, 5.90 प्रतिशत, 7.17, प्रतिशत, 8.35, प्रतिशत, 8.48 प्रतिशत, तथा 8.42 प्रतिशत की दर से ₹ 3,00.00 करोड़, ₹1,10.00 करोड़, ₹15.85 करोड़ ₹2,11.50 करोड़ ₹5,00.00 करोड़, तथा ₹1,00.00 करोड़ वर्ष के दौरान उन्मोचन हेतु अधिसूचित किये गये।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण:- ये भी दीर्घकालीन सब्याज ऋण है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तों के अनुरूप लौटाये जाते हैं। इस वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹23.58 करोड़ की राशि लौटा दी गई थी।

(ग) भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण:- ये भी दीर्घकालीन सब्याज ऋण है, जो भारतीय सामान्य जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तों के अनुसार लौटाये जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹ 0.15 करोड़ चुकाए गए ।

(घ) कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण:- ये ऋण कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितिओं के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस बैंक से ₹5,00.00 करोड़ की राशि ली गई थी, तथा ₹3,30.00 करोड़ वापिस किए गए ।

(ङ.) मुआवजा और अन्य बॉन्ड:- वर्ष के दौरान ₹28,90.50 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा उच्चवलय डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), हिमाचल प्रदेश विशेष बॉन्ड के तहत प्राप्त की गई।

(च) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण:- ये ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹40.79 करोड़ की राशि ली गई तथा वर्ष 2016-17 के दौरान ₹26.28 करोड़ वापिस किए गए ।

(छ) अन्य संस्थानों से ऋण:- ये ऋण विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा जैसे कि न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी, आरिपेण्टल इश्योरेंस कम्पनी, युनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी, नैशनल इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया, नगर निगम ऋण, हाउसिंग अर्बन डेवेलोपमेंट कॉरपोरेशन, हि0 प्रदेश वन निगम तथा भारतीय जीवन बीमा से ऋण (निगोशिएटेड) आदि दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹80.07 करोड़ लौटाए गए ।

(ज) भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम:- रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों जैसे 0.55 करोड़ में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹16,70.72 करोड़ की राशि ली गई तथा ₹16,70.72 करोड़ वापिस किए गए।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

4. ऋण का उपयोग:-

(क) ऋण और अन्य दायित्व पर ब्याज:- वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान प्रभारित ब्याज के कारण राजस्व में से लिए गए सकल बकाया ऋण और अन्य दायित्वों तथा कुल निवलराशि निम्नलिखित थी:-

	2016-17	2015-16	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-)
	(₹ करोड़ में)		
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधि इत्यादि	4,44,14.85	3,85,49.89	(+)58,64.96
(ख) अन्य दायित्व	28,29.17	26,47.55	(+)1,81.62
जोड़ (i)	4,72,44.02	4,11,97.44	(+)60,46.58
(ii) सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधियां आदि पर	33,58.91	31,55.00	(+)2,03.91
(ख) अन्य दायित्व पर
जोड़ (ii)	33,58.91	31,55.00	(+)2,03.91
(iii) घटाये			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	80.35	53.38	(+)26.97
(ख) रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	83.30	39.59	(+)43.71
जोड़ (iii)	1,63.65	92.97	(+)70.68
(iv) ब्याज की प्रभारों की निवल	31,95.26	30,62.03	(+)1,33.23
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति सकल ब्याज की प्रतिशतता (मद ii)	12.79	13.46	(-)0.67
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति निवल ब्याज (मद iv) की प्रतिशतता	12.17	13.06	(-)0.89

टिप्पणी:- सरकार ने वर्ष के दौरान लोक उपक्रमों और अन्य निवेशों अदि से ₹2,89.63 करोड़ लाभांश के रूप में प्राप्त किए। (मुख्य शीर्ष-0050) पृष्ठ संख्या 54। (खण्ड-II) में देखें।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी
भाग-1 ऋण एवं अग्रिम का सार: उधारग्रहीता समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋण समूह	1 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2017 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	ब्याज का बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद	0.57	--	--	--	0.57	---	*
शहरी विकास प्राधिकारी	2.01	--	2.00	--	0.01	(-)2.00	*
आवास बोर्ड	1.16	--	--	--	1.16	--	*
सांविधिक निगम	18,53.34	30,82.58	--	--	49,35.92	(+)30,82.58	*
सहकारी समितियां/ सहकारी बैंक	48.90	39.79	16.53	--	72.16	(+)23.26	*
पंचायती राज संस्थाएं	0.35	--	--	--	0.35	--	*
सरकारी कर्मचारी	40.72	7.03	8.80	--	38.95	(-)1.77	*
अन्य	8,37.02	1,60.29	2.17	--	9,95.14	(+)1,58.12	*
जोड़-	27,84.07	32,89.69	29.50	--	60,44.26	(+)32,60.19	*

शाश्वत ऋणों के रूप में स्वीकृत ऋण निम्नलिखित मामले हैं।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2011-12	मार्च 2011	एचटीसी-एफ(11)3/2011	7.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2012-13	मार्च 2010	एचटीसी-एफ(1) 3/2010(खण्ड -II)	5.00	ब्याज रहित

*उपलब्ध नहीं है

टिप्पणियां: ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का भाग I देखें (पृष्ठ संख्या 159 से 162 खण्ड-II देखें)

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी
भाग-2 ऋण एवं अग्रिम का सारांश: क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2016 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2017 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	बकाया ब्याज अदायगी
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेवाएं	23.69	1.00	4.15	--	20.54	(-)3.15	*
आर्थिक सेवाएं	27,18.65	32,81.66	16.56	--	59,83.75	(+)32,65.10	*
अन्य सेवाएं	41.73	7.03	8.79	--	39.97	(-)1.76	*
जोड़-	27,84.07	32,89.69	29.50	--	60,44.26	(+)32,60.19	

भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	1 अप्रैल 2016 को बकाया राशि			शीघ्रतन अवधि जिसमें बकाया सम्बन्धित है	31 मार्च 2017 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर परिषद	0.57	0.57	2001-02	0.57
आवास बोर्ड	1.16	1.16	2009-10	1.16
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	38.39	38.39	2007-08	38.39
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	5.61	5.61	1987-88	5.61
लघु एवं ग्राम उद्योग	0.62	0.62	1987-88	0.62
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	74.75	74.75	1987-88	29,65.25
सामान्य वित्तीय संस्थाएँ	0.10	0.10	1985-86	0.10
जोड़-	1,21.20		1,21.20		30,11.70

*उपलब्ध नहीं है

8. सरकार के निवेशों की विवरणी

भाग-1: विभिन्न संस्थानों में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान सरकार के निवेश प्रतिदेय शेयर एवं ऋणपत्र का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठान का नाम	2016-17			2015-16		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति	प्रतिष्ठान का संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति
1 सांविधिक निगम/बोर्ड	6	13,77.13	...	6	12,77.68	...
2 सरकारी कम्पनियां	20	7,49.53	1.89	20	5,94.25	0.70
3 सयुक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार						
(i) केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां	1	10,98.14	2,86.97	1	10,98.14	1,10.78
(ii) अन्य कम्पनियां	13	0.10	...	13	0.10	0.01
4 सहकारी बैंक	9	13.77	0.22	9	14.05	...
5 सहकारी समितियां और स्थानीय निकाय						
सहकारी समितियां	17	54.86	0.55	17	56.45	0.45
जोड़-	66	32,93.53	2,89.63	66	30,40.67	1,11.94

9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी

क. सांविधिक निगमों, स्थानीय निकाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण आदि की चुकौती के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में 31 मार्च 2017 तक बकाया प्रत्याभूत राशियां नीचे दिखायी गयी है :-

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र(कोषक के अन्तर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष 2016-17 के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष 2016-17 के अन्त में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत (1)*	74,40.46	26,50.59	28,90.50	17,80.84	--	--	37,60.25	--	--	--
सहकारी बैंक(1)*	3,25.00	2,26.75	53.27	--	--	--	2,80.02	--	--	--
राज्य वित्तीय निगम (1)*	95.25	24.10	--	--	--	--	24.10	--	--	--
स्थानीय निकायों (1)*	12.00	5.06	--	0.12	--	--	4.94	--	--	--
अन्य संस्थान (10) *	44,47.71	8,07.89	1,09.25	4,36.03	--	--	4,81.11	--	--	--
जोड़	1,23,20.42	37,14.39	30,53.02	22,16.99	--	--	45,50.42	--	--	--

* कोषकों के आंकड़े संस्थानों की संख्या दर्शाते हैं।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी
(i) रोकड़ों में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	कुल निधि से जारी किया गया सहायता अनुदान						कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान					
	2016-17			2015-16			2016-17			2015-16		
	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़
(₹ करोड़ में)												
1. पंचायती राज संस्थाए-												
(i) जिला परिषद	14.50	..	14.50	12.22	...	12.22
(ii) पंचायत समीतियां	48.71	..	48.71	40.74	...	40.74
(iii) ग्राम पंचायतें	3,90.20	2,43.23	6,33.43	2,55.02	1,19.36	3,74.38	3,24.90	0.99	3,25.89	2,01.54	6.75	2,08.29
जोड़-	4,53.41	2,43.23	6,96.64	3,07.98	1,19.36	4,27.34	3,24.90	0.99	3,25.89	2,01.54	6.75	2,08.29
2. स्थानीय शहरी निकाय												
(i) नगर निगम	78.62	2,20.89	2,99.51	41.70	94.14	1,35.84	35.46	2,09.43	2,44.89	9.31	69.78	79.09
(ii) नगर पालिका/नगर परिषद	80.73	1,28.50	2,09.23	87.77	40.68	1,28.45	24.29	1,18.77	1,43.06	33.24	28.33	61.57
(iii) अन्य	17.33	18.59	35.92	24.56	30.69	55.25	1.30	1.99	3.29	...	25.38	25.38
जोड़-	1,76.68	3,67.98	5,44.66	1,54.03	1,65.51	3,19.54	61.05	3,30.19	3,91.24	42.55	1,23.49	1,66.04
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
(i) सरकारी कंपनियां	13.41	..	13.41	6.95	...	6.95
(ii) सांविधिक निगम	1,32.13	5.30	1,37.43	1,14.97	3.71	1,18.68	9.00	1.00	10.00	...	10.00	10.00
जोड़-	1,45.54	5.30	1,50.84	1,21.92	3.71	1,25.63	9.00	1.00	10.00	...	10.00	10.00
4. स्वायत्त निकाय												
(i) विश्वविद्यालय	1.00	3,55.98	3,56.98	6.00	3,12.52	3,18.52	1.50	1.50
(ii) विकास प्राधिकरण	36.49	1,35.71	1,72.20	13.99	95.63	1,09.62	10.00	25.29	35.29	...	14.56	14.56
(iii) सहकारी संस्थान	6.22	33.00	39.22	5.94	24.29	30.23	...	0.97	0.97	...	0.75	0.75
(iv) अन्य	6.54	1,84.29	1,90.83	5.42	1,78.08	1,83.50	...	32.81	32.81	...	33.45	33.45
जोड़-	50.25	7,08.98	7,59.23	31.35	6,10.52	6,41.87	10.00	59.07	69.07	...	50.26	50.26

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ों में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	कुल निधि से जारी किया गया सहायता अनुदान						कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान					
	2016-17			2015-16			2016-17			2015-16		
	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़
												(₹ करोड़ में)
5. शिक्षा												
(i) प्रारम्भिक शिक्षा	3.67	1,60.98	1,64.65	...	1,81.46	1,81.46
(ii) माध्यमिक शिक्षा	22.78	2,68.85	2,91.63	12.99	1,29.06	1,42.05	...	1.00	1.00
(iii) उच्च शिक्षा	0.69	22.50	23.19	0.65	17.24	17.89
जोड़-	27.14	4,52.33	4,79.47	13.64	3,27.76	3,41.40	...	1.00	1.00
6. अन्य												
(i) वन	..	8.12	8.12	...	13.60	13.60	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07
(ii) सामाजिक कल्याण	17.63	84.75	1,02.38	26.50	37.29	63.79	...	6.35	6.35	...	0.32	0.32
(iii) विविध	31.17	5,84.47	6,15.64	10.22	6,68.89	6,79.11	20.16	1,50.35	1,70.51	...	99.64	99.64
जोड़-	48.80	6,77.34	7,26.14	36.72	7,19.78	7,56.50	20.16	1,56.77	1,76.93	...	1,00.04	1,00.04
कुल जोड़-	9,01.82	24,55.16	33,56.98*	6,65.64	19,46.64	26,12.28	4,25.11	5,49.02	9,74.13**	2,44.09	2,90.54	5,34.63

* इनमें ₹ 10.03 करोड़ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की राशी (मुख्य शीर्ष 3604) एवं ₹ 2.33 करोड़ की सहायता अनुदान पूंजीगत व्ययें शामिल है

** ₹ 9,74.13 करोड़ की सहायता अनुदान जोकि पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु (राजस्व व्यय ₹ 9,72.29 करोड़ + पूंजीगत व्यय ₹ 1.84 करोड़)

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी
(ii) वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य		पूँजीगत सम्पत्तियों की प्रकृति के वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य	
1	2		3	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
1. पंचायती राज संस्थाए-				
(i) जिला परिषद
(ii) पंचायत समीतियां
(iii) ग्राम पंचायतें
2. स्थानीय शहरी निकाय				
(i) नगर निगम
(ii) नगर पालिका/ नगर
(iii) अन्य
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम				
(i) सरकारी कम्पनियां
(ii) सांविधिक निगम
4. स्वायत्त निकाय				
(i) विश्वविद्यालय
(ii) विकास प्राधिकारण
(iii) सहकारी समीतियां
(iv) अन्य
5. गैर सरकारी संगठन
जोड़-

टिप्पणी:- वर्ष के दौरान कोई भी सहायता अनुदान नहीं दिया गया।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी

विवरण	वास्तविक					
	2016-17			2015-16		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
						(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	34,10.75	2,19,33.47	2,53,44.22	31,98.94	1,91,03.87	2,23,02.81
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	42.07	34,56.96	34,99.03	41.02	28,23.47	28,64.49
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त/हस्तांतरण तथा आकस्मिक निधि को अन्तरण (क)	39,42.84	32,89.69	72,32.53	39,47.73	4,63.16	44,10.89
जोड़	73,95.66	2,86,80.12	3,60,75.78	71,87.69	2,23,90.50	2,95,78.19
(क) आंकड़े निम्नवत रूप से निकाले गए हैं।						
ड. लोक ऋण						
राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	38,68.91	..	38,68.91	38,76.40	...	38,76.40
केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	73.93	..	73.93	71.33	...	71.33
च. ऋण और अग्रिम *						
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	..	1.00	1.00	...	0.35	0.35
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	..	32,81.66	32,81.66	...	4,49.39	4,49.39
सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	..	7.03	7.03	...	13.42	13.42
छ. अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त						
अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त
ज. आकस्मिक निधि का अन्तरण						
आकस्मिक निधि का अन्तरण
जोड़ (क)	39,42.84	32,89.69	72,32.53	39,47.73	4,63.16	44,10.89

(i) वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय से सकल व्यय की प्रतिशतता निम्नलिखित है।

वर्ष	सकल/कुल व्यय के प्रतिशतता	
	प्रभारित	दत्तमत
2015-16	24.30	75.70
2016-17	20.50	79.50

* विस्तृत लेखा के बारे में अधिक जागरूकी हेतु विवरण संख्या 18 देखें।

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016-17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूँजीगत तथा अन्य व्यय-			
सकल पूँजीगत व्यय			
सामान्य सेवायें			
पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	2,35.86	42.35	2,78.21
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	3.70	..	3.70
लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	7,93.84	1,53.40	9,47.24
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	20.23	12.62	32.85
जोड़-सामान्य सेवायें	10,53.63	2,08.37	12,62.00
सामाजिक सेवायें			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	21,80.76	2,95.73	24,76.49
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10,27.34	2,85.53	13,12.87
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	54,99.47	4,33.72	59,33.19
सूचना एवं प्रसार	7.83	0.77	8.60
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,75.90	8.64	1,84.54
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	83.22	15.92	99.14
अन्य सामाजिक सेवायें	7.67	0.75	8.42
जोड़-सामाजिक सेवायें	89,82.19	10,41.06	1,00,23.25
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	18,15.37	1,03.44	19,18.81
ग्रामीण विकास	20.93	3.49	24.42
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	39,61.76	2,01.37	41,63.13
ऊर्जा	35,28.34	2,02.78	37,31.12
उद्योग तथा खनिज	3,40.55	56.32	3,96.87
परिवहन	95,76.13	15,83.61	1,11,59.74
सामान्य आर्थिक सेवायें	7,87.70	1,51.58	9,39.28
जोड़-आर्थिक सेवायें	2,00,30.78	23,02.59	2,23,33.37
जोड़-सकल पूँजीगत परिव्यय	3,00,66.60	35,52.02	3,36,18.62

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016-17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूँजीगत तथा अन्य व्यय-क्रमशः			
पूँजीगत परिव्यय की वसूलियां			
सामाजिक सेवायें			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	0.24	..	0.24
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	0.75	..	0.75
जोड़-सामाजिक सेवायें	0.99	..	0.99
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	10,22.26	52.99	10,75.25
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	5,67.69	..	5,67.69
उद्योग तथा खनिज	0.15	..	0.15
परिवहन	70.80	..	70.80
जोड़-आर्थिक सेवायें	16,60.90	52.99	17,13.89
जोड़-पूँजीगत परिव्यय की वसूलियां	16,61.89	52.99	17,14.88
कुल जोड़- पूँजीगत परिव्यय	2,84,04.71	34,99.03	3,19,03.74
विनिवेश	(-)12,95.85		(-)12,95.85
ऋण तथा अग्रिम-			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-			
सामाजिक सेवायें			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	6.92	(-)0.94	5.98
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	12.41	(-)2.20	10.21
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3.25	..	3.25
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1.10	(-)0.01	1.09
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	1,24.02	(+)23.26	1,47.28
ग्रामीण विकास	0.49	..	0.49
ऊर्जा	25,34.75	(+)32,28.81	57,63.56

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016-17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-समाप्त ऋण तथा अग्रिम- विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-			
उद्योग तथा खनिज	59.28	(+)13.03	72.31
सामान्य आर्थिक सेवायें	0.10	..	0.10
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	40.73	(-)1.76	38.97
विविध ऋण	1.02	..	1.02
जोड़-ऋण तथा अग्रिम	27,84.07	32,60.19	60,44.26
जोड़-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	3,11,88.78	67,59.22	3,79,48.00
घटाएं			
विविध पूंजीगत वसूली से अंशदान	12,95.85	..	12,95.85
निवल जोड़-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	2,98,92.93	67,59.22	3,66,52.15
निधियों के मुख्य स्रोत			
राजस्व (+) आधिक्य (-) घाटा		(+)9,20.12*	
जमा-विनिवेश के कारण समायोजित राशि	(-)12,95.85	..	(-)12,95.85
ऋण-			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	2,68,60.93	46,33.10	3,14,94.03
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	10,49.06	27.37	10,76.43
लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि	1,06,39.90	12,04.51	1,18,44.41
जोड़-ऋण	3,85,49.89	58,64.98	4,44,14.87
अन्य प्राप्तियां-			
आकस्मिकता निधि	5.00	...	5.00
आरक्षित निधियां	2,19.33	0.25	2,19.58
जमा तथा अग्रिम	24,27.67	1,81.36	26,09.03

*पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी देखें (खण्ड-I)।

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष 2016-17 के दौरान	31 मार्च 2017 को
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			
अन्य प्राप्तियां			
उचन्त तथा विविध (सरकारी लेखे तथा रोकड़ शेष निवेश लेखा को संवृत राशि के अतिरिक्त)	2,63.72	(-)71.74	1,91.98
प्रेषण	3,63.45	(-)35.23	3,28.22
जोड़-अन्य प्राप्तियां	32,79.17	74.64	33,53.81
जोड़-ऋण तथा अन्य प्राप्तियां	4,18,29.06	59,39.62	4,77,68.68
अन्य प्राप्तियां			
घटाएं- रोकड़ शेष	(-)3,40.76	(-)1,02.51	(-)4,43.27
घटाएं- निवेश	5,56.80	(+)2,02.63	7,59.43
जमा- सरकारी लेखे को संवृत राशि	...	(-)0.40	..
निधियों का निवल प्रावधान	4,16,13.02	67,59.22	4,74,52.54 (क)

पूजीगत एवं अन्य परिव्यय तथा निधियों के निवल प्रावधान के प्रगामी आंकड़ों में ₹ 1,08,00.36 लाख के अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1 राजस्व घाटा

(i) 31 मार्च 2016 तक राजस्व घाटा	(-)1,16,98.72	
(ii) चालू वर्ष घाटा(-)/आधिक्य(+)	(+)9,20.12*	(-)1,07,78.60

2 राशियों का निम्न समाधान

(i) अंतर्राज्यीय समाधान	(-)1.43	
(ii) कूल राशि का ' 7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन'	(-)5.00	
(iii) विविध सरकारी लेखे	(-)7.84	
(iv) प्रफॉर्मा द्वारा कुल राशि का समायोजन	(-)7.50	(-)21.77
कुल जोड़-		(-)1,08,00.37

(क) अथ शेष ₹ 4,74,52.54 करोड़ से ₹ 9,20.12 करोड़ कम है (राजस्व आधिक्य)।

* पृष्ठ संख्या * 4 पर पाद टिप्पणी देखें (खण्ड-I)।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

(क) 31 मार्च 2017 को शेष राशियों का सांराश निम्न प्रकार से है:-

नामे शेष	लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष (₹ करोड़ में)
		समेकित निधि सरकारी लेखा	
	क से ड. तथा ठ का भाग (मुख्य शीर्ष 8680) केवल		
4,14,08.26 (क)	ड.	लोक ऋण	3,25,70.46
60,44.26	च-	ऋण एवं अग्रिम आकस्मिकता निधि	
	छ-	आकस्मिक निधि लोक लेखा	5.00
	झ-	लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,18,44.41
	ञ-	आरक्षित निधियां- (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां- (ii) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	0.94
		सकल शेष	2,18.62
	ट-	जमा और अग्रिम- (i) ब्याज वाली जमा राशियां (ii) ब्याज रहित जमा राशियां (iii) अग्रिम	8.08 26,01.51
0.54	ठ-	उचन्त और विविध (i) निवेश (ii) अन्य मदे (निवल)	1,91.98
7,59.43		समेकित निधि प्रेषण-	
	ड-	(i) एक ही लेखा अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच रोकड़ प्रेषण व समायोजन (ii) अन्तःसरकारी समायोजन लेखे	3,32.91
4.69			
(-)4,43.27 (ख)	ढ-	रोकड़ शेष (अंत शेष)	
4,77,73.91			4,77,73.91

(क) इस आंकड़ों को समझने के लिए कृपया (ख) पृष्ठ संख्या 37 (खण्ड-I) देखें।

(ख) रोकड़. -शेष में शामिल रिजर्व बैंक के पास जमा से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों तथा लेखाओं में प्रदर्शित किए गए आंकड़ों के बीच अन्तर था। इस विसंगति का समाधान किया जा रहा है पृष्ठ संख्या 189 (खण्ड-II) पर दी गई पाद-टिप्पणी (क) भी देखें।

13.समेंकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

ख. सरकारी लेखा:- सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत और अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत बुक किए गए वे लेखे जिनके बकायों को वर्ष-प्रतिवर्ष अग्रणीत नहीं किया जाता है, उन्हें "सरकारी लेखा" नामक एकल शीर्ष के अन्तर्गत बन्द कर दिया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया इस प्रकार के सभी लेन-देनों के संचित परिणामों को प्रकट करता है। इसमें लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और अग्रिम, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिक निधि आदि के अन्तर्गत बकायों को जोड़ कर वर्ष के अन्त में रोकड़ अन्त शेष निकाला जा सके और उसे प्रमाणित किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्ष सरकारी बहियों के उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकायों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सरकार का प्राप्त किए गए धन को लौटाने का दायित्व है या जहां सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी सम्मिलित हैं, जो प्रेषण से सम्बन्धित लेन-देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले जाते हैं।

यह जानना आवश्यक है कि ये बकाए सरकार की वित्तीय स्थिति के सम्पूर्ण अभिलेख नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये राज्य की सारी प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार साधन आदि और न ही उपचित देयों या बकाया दायित्वों, को सम्मिलित नहीं करते जिनका सरकार द्वारा अपनाई गई रोकड़ लेखा पद्धति के अन्तर्गत लेखांकन नहीं किया जाता है।

(क) रोकड़-शेष में शामिल " रिजर्व बैंक के पास जमा " से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों तथा लेखाओं में प्रदर्शित किए गए आंकड़ों के बीच अन्तर था। इस विसंगती का समाधान किया जा रहा है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे जाली गई शुद्ध राशि निम्नलिखित प्रकार से है:-

नामे	विवरण	जमा (₹ करोड़ में)
	क- 1 अप्रैल 2016 को सरकारी लेखे में नामे शेष	
3,88,28.94	ख- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	2,62,64.34*
	ग- प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
2,53,44.22	घ- व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
34,99.03	ड.- व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
	च- उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखा)	-0.41
	छ- 31 मार्च 2017 को सरकारी लेखों में नामे शेष	4,14,08.26
6,76,72.19	जोड़	6,76,72.19

टिप्पणी:- कई मामलों में अन्तिम शेषों में असमायोजित भिन्नताएं है जैसाकि प्राप्ति, वितरण और आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे की विवरणियों (विवरणी-16) में बताया गया है व लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालय के इस उद्देश्य से बनाए गए रजिस्ट्रों अथवा रिकार्ड में दर्शाया गया है। विसंगतियों के समाधान के लिए पग उठाये जा रहे है।

अन्तिम शेष प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित अधिकारियों को निरीक्षण और सहमति हेतु प्रेषित किये जाते है। अधिकतर मामले में सहमतियाँ प्राप्त नहीं होती ।

* पृष्ठ संख्या 4 पर पाव टिप्पणी (खण्ड-1) देखें।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार

(i) लेखाकरण अवधि तथा अस्तित्व

ये लेखे हिमाचल प्रदेश सरकार के 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लेन देनों को प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं को 17 जिला कोषागारों, 77 लोक निर्माण मण्डलों, 89 वन मण्डलों, 53 सिंचाई मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों के आधार पर संकलित किया गया है। राज्य सरकार के लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाइयों द्वारा प्रेषित लेखे संतोषजनक थे तथा किसी भी लेखे को वित्तीय वर्ष के अन्त में असमायोजित नहीं रखा गया।

(ii) लेखाकरण के आधार

कुछ आवधिक समायोजन तथा बुक समायोजन (अनुबन्ध-क) के अपवाद सहित, लेखे चालू वर्ष के दौरान वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाते हैं। सरकारी निवेश आदि प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत अर्थात् अर्जन/खरीद वर्ष के मूल्य पर दर्शाया जाता है। प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों को अवमूल्यित या ऋण परिशोधित नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में हुई क्षतियों को उनके समाप्तिकाल पर खपाया या मान्य नहीं किया गया है।

चालू वर्ष के दौरान संवितरित किए गए सेवा निवृत्ति लाभांशों सम्बन्धी देयताओं को लेखाओं में दर्शाया गया है, परन्तु सरकार की भविष्य में पेंशन देयताओं अर्थात् कर्मचारियों की पिछली एवं वर्तमान सेवाओं से सम्बन्धित सेवा-निवृत्ति लाभांशों की भुगतान-सम्बन्धी देयताओं, को लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(iii) लेखाओं को रखने की मुद्रा

हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे भारतीय रूपये में रखे जाते हैं।

(iv) लेखाओं का स्वरूप

संविधान के अनुच्छेद -150 के अधीन, संघ एवं राज्य के लेखाओं को उसी स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करें। अनुच्छेद-150 में प्रयुक्त शब्द 'स्वरूप' का व्यापक अर्थ है जिसमें न केवल लेखाओं को रखे जाने के विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही शामिल है अपितु लेनदेनों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उचित लेखा-शीर्षों के चयन के आधार को भी सम्मिलित किया गया है।

(v) राजस्व एवं पूंजीगत के बीच वर्गीकरण

राजस्व व्यय एक आवर्ती स्वरूप का व्यय है जिसे राजस्व प्राप्तियों में से ही किया जाना है। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय ऐसे व्यय से है जिसे वस्तुपूरक एवं स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों की बढ़ाव अथवा स्थायी देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किया जाना है। और भी, भारतीय सरकार लेखाकरण मानक-2 (आई जी ए एस-2) के अनुसार सहायता अनुदानों पर हुए व्यय को अन्तिम उपयोगिता को ध्यान में न रखते हुए राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

2. लेखाओं की गुणवत्ता

(i) अग्रिम अदायगियां

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी. डी. ओ.) को अग्रिम रूप से धन आहरित करने तथा तत्पश्चात् समायोजन बिलों को प्रेषित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा ऐसे समायोजन वाउचरों को चिन्हित करने की

कोई प्रणाली नहीं बनाई गई है, जिसके कारण महालेखाकार (ले० व ह०) यह प्रमाणित करने में समर्थ नहीं होता कि क्या सभी अप्रिम्पों को समायोजित कर लिया गया है तथा कोई दुर्विनियोजन/धोखाधड़ी का मामला तो नहीं है। विगत कई वर्षों से महालेखाकार (ले० व ह०) द्वारा राज्य सरकार से बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है कि वे केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्यों में प्रचलित सार आकस्मिक बिलों (ए.सी.) तथा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी. सी.) बिलों (अन्तिम व्यय के समर्थित वाउचर) के उत्तरवर्ती प्रेषण से सम्बन्धित प्रणाली को अपनाए। राज्य सरकार द्वारा अभी यह प्रणाली अपनाई जानी है।

(ii) लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र

विशेष प्रयोजनों हेतु संस्वीकृत अनुदानों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 (संशोधित) के नियम-164 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) प्राप्त किया जाना चाहिये, जिसे सत्यापित किए जाने के उपरान्त संस्वीकृति में उल्लिखित तिथियों के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता-अनुदान को सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्षों के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। राज्य के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्यतः शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभागों से अपेक्षित हैं।

मार्च 2016 तक लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति इस प्रकार है:-

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र	राशि (₹ करोड़ में)
2014-15 तक	1,531	1,672.47
2015-16	1,056	1,238.20
2016-17 *	2,475	2,449.74
कुल	5,062	5,360.41

*जहां संस्वीकृति आदेशों में अन्यथा वर्णित है, उसके अलावा अन्य में वर्ष 2016-17 के दौरान संवितरित अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष 2017-18 में ही देय बनते हैं।

केवल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किस उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान का उपयोग किया गया है जिससे अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों का उपयोग नहीं किया जा सके। इस प्रकार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण लेखाओं में दर्शाये गये व्यय को अन्तिम नहीं समझा जा सकता न ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि व्यय स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही किया गया है।

(iii) व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का अन्तरण

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 खण्ड-1 नियम संख्या 12.7 के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा खातों का संचालन समेकित निधि (इन्हें अन्तिम व्यय के रूप में बुक करके) में से राशियों के अन्तरण द्वारा किया जाता है, जिसे निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु व्यय को संबंधित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत जमा खातों में पड़े अव्ययित शेषों को वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को समेकित निधि में वापिस अन्तरित किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को अगले वर्ष पुनः खोला जाता है। पिछले कई वर्षों से महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा अनुरोध

करने पर भी इन नियमों का राज्य सरकार द्वारा अनुसरण नहीं किया गया है। व्यक्तिगत जमा खातों में शेषों का विवरण निम्न है:-

(₹ करोड़ में)

01.04.16 को व्यक्तिगत जमा खातों अथ शेष		वर्ष 2016-17 के दौरान खोले गए व्यक्तिगत जमा खाते	वर्ष 2016-17 के दौरान बन्द किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	इतिशेष	
संख्या	राशी			संख्या	राशी
113	231.42	शून्य	शून्य	113*	325.28

* 36 व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें शून्य शेष है और 1 व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें ₹ 0.10 करोड़ है 2010-11 से असंचालित है। मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार व्यक्तिगत जमा खाते मुख्य शीर्ष-8443 -सिविल जमा, लघु शीर्ष-106 व्यक्तिगत जमा के अन्तर्गत संचालित होने चाहिए।

जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्य शीर्ष 8443- सिविल जमा, लघु शीर्ष-106, व्यक्तिगत जमा के अतिरिक्त निम्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा खातों को संचालित कर रही थी:-

1. मुख्य शीर्ष-8229- विकास तथा कल्याण निधि, लघु शीर्ष-110, विद्युत विकास निधि के अन्तर्गत।
2. मुख्य शीर्ष-8443- सिविल जमा, लघु शीर्ष-110 पुलिस निधि की जमा के अन्तर्गत।
3. मुख्य शीर्ष-8448- स्थानीय निधियों की जमा, लघु शीर्ष-102 नगर पालिका संबन्धी निधियों के अन्तर्गत।
4. मुख्य शीर्ष-8448- स्थानीय निधियों की जमा, लघु शीर्ष-109 पंचायत निकाय निधियों के अन्तर्गत।
5. मुख्य शीर्ष 8449- अन्य जमा, लघु शीर्ष-120 विविध जमा के अन्तर्गत।

31-03-2017 तक सभी व्यक्तिगत जमा लेखों में कुल शेष ₹325.28 करोड़ में से ₹216.85 करोड़ शेष केवल विद्युत विकास निधि, नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम (एन0जे0पी0सी0), सी0 टी0 ओ0 (02) जोकि मुख्यशीर्ष 8229- विकास तथा कल्याण निधि, लघु शीर्ष-110 विद्युत विकास निधि जोकि सभी व्यक्तिगत जमा खातों के अव्ययी शेष का 66.67 प्रतिशत था।

(iv) प्राप्ति तथा व्यय का मिलान

सरकार की प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार (ले० व ह०) द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ प्रमुख नियन्त्रण अधिकारी (सी.सी.ओ.)/ नियन्त्रण अधिकारी (सी ओ) द्वारा मिलान किया जाना अनिवार्य है। दोनों (प्राप्तियों एवं व्यय) के सम्बन्ध में प्रमुख नियन्त्रण अधिकारियों(सी सी ओ)/नियन्त्रण अधिकारियों (सी ओ) द्वारा यह मिलान पूर्ण कर लिया गया है।

(v) रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)

महालेखाकार द्वारा निकाले गये राज्य सरकार के रोकड़ शेष एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बतलाए गए रोकड़-शेष के बीच ₹ 8.60 करोड़ (निवल जमा) का अन्तर मुख्यतः एजेंसी बैंकों द्वारा आंकड़ों का मिलान न किए जाने के कारण हुआ है। इसका मिलान किया जा रहा है।

3. अन्य मदें

(i) पेंशन लाभ देनदारियाँ

वर्ष के दौरान 14 मई 2003 या उससे पहले नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर ₹ 4,114.17 करोड़ व्यय किया गया (जिसमें ₹ 18.63 करोड़ विधायकों की पेंशन, ₹ 336.67 करोड़ अवकाश नगदीकरण लाभ तथा ₹ 209.58 करोड़ परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान सम्मिलित हैं) जोकि राज्य के कुल राजस्व व्यय ₹ 25,344.22 करोड़ का 16.23 प्रतिशत है। 15 मई 2003 से नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के हकदार हैं।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दोनों प्रकार के योगदानों को आरम्भ में लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा, 117- सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में जमा किया जाना है। तत्पश्चात संपूर्ण राशि को उसी वर्ष में पदनामित निधि प्रबंधक के द्वारा नैशनल स्क्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एन. एस. डी. एल.)/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया जाना है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकार के अंशदान को हस्तांतरित करने के लिए उपरोक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया। वहीं सरकार द्वारा नियोक्ता (सरकार का) के अंशदान को लोक लेखा के द्वारा न भेजकर सीधे ही एन. एस. डी. एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने कर्मचारियों के अंशदान के रूप में ₹ 228.02 करोड़ की कटौती की जिसे लोक लेखा में जमा किया गया। इसके पश्चात लोक लेखे से ₹ 228.33 करोड़ एन. एस. डी. एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दिये। वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा ₹ 0.31 करोड़ का अधिक अंशदान जो अतीत की देनदारियों को दर्शाता है। वर्ष 2016-17 में भी पिछले वर्षों की भान्ति राज्य सरकार ने कर्मचारी अंशदान लोक लेखा को जमा न करके ₹ 209.58 करोड़ सीधे ही एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दिया। जैसाकि राज्य सरकार कर्मचारियों का अंशदान लोक लेखा के माध्यम से जारी नहीं किया, जिस कारण सरकार की एन.एस.डी.एल. को शेष भाग के हस्तांतरण की देनदारियों का निर्धारण सम्भव नहीं है। इस प्रकार का कम अंशदान, यदि कोई है पर ब्याज देय होगा को नियोक्ता के अंशदान को एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित करते समय शामिल करना होगा परन्तु वर्षों तक नियोक्ता के कम अंशदान की मात्रा की जानकारी के अभाव में इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

1 अप्रैल 2016 को कर्मचारियों का ₹ 8.36 करोड़ का अंशदान एन. एस. डी. एल. को हस्तांतरित किया जाना शेष है जोकि लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा, 117- सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध था। (योजना के आरम्भ से ऐसे प्रतिधारित शेष पर ब्याज-जोकि राज्य सरकार की देनदारी है, का आंकलन नहीं किया गया है यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि वर्षों से कर्मचारियों के अंशदान का सही आंकलन किया गया है कि नहीं)। राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 236.38 करोड़ (प्रारंभिक शेष ₹ 8.36 करोड़ और वर्ष के दौरान कर्मचारियों से काटे गए ₹ 228.02 करोड़) के बदले ₹ 228.33 करोड़ हस्तांतरित किये जबकि ₹ 8.05 करोड़ 31 मार्च 2017 को लोक लेखा में शेष है। योजना के अन्तर्गत असंग्रहित, बेमेल और अहस्तांतरित राशियाँ, उपाजित ब्याज सहित बकाया देनदारियों को दर्शाती है तथा अनावश्यक रूप से राज्य सरकार से तरलता की स्थिति को बढ़ाता है।

(ii) गारंटियाँ

वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे की विवरणी-9 में दी गई सूचना राज्य सरकार/निगमों/बोर्डों/सरकारी कम्पनियों, सहकारी समिति/बैंक के 14 साविधिक निगमों/बोर्डों/सरकारी कम्पनियों तथा एक सहकारी समिति/बैंक से प्राप्त सूचना पर आधारित है। वर्ष 2016-17 के अन्त तक बकाया देनदारियों के विरुद्ध ₹ 4,550.42 करोड़ की गारंटियाँ दी गई।

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित) के अनुसार कुल बकाया गारंटियाँ चालू वर्ष से पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 40 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। इस प्रकार बकाया गारंटियाँ वर्ष 2016-17 के राजस्व प्राप्तियों का 19.41 प्रतिशत है जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के भीतर है।

(iii) ऋण एवं अग्रिम

सरकारी कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिमों को छोड़ कर जिनका विस्तृत लेखा महालेखाकार (ले० व ह०) रखते हैं को विवरणी 7 व 18 में दिखाई गई अन्य सभी ऋणों एवं अग्रिमों की सूचना राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त की गई है जो इनके लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी है। इन विवरणियों में ब्याज भुगतान के बकाया का ब्योरा नहीं दिया गया है क्योंकि इस सूचना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा ₹ 3,289.69 करोड़ के ऋण विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किए गए, इसमें भारत सरकार की पुरूथान निति के अन्तर्गत उदय योजना में राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बद्ध ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों के अग्रिम की वापसी के स्वरूप में ₹ 8.80 करोड़ तथा ₹ 20.70 करोड़ अन्य बकाया ऋणों की वापसी के रूप में प्राप्त हुए। 31 मार्च 2017 तक शेष ₹ 6,044.26 करोड़।

(iv) निवेश

राज्य सरकार वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी संस्थानों के इक्विटी और शेयरों में निवेश करती है। लेखाओं के अनुसार 66 इकाईयों में सरकार का निवेश 31 मार्च 2017 तक ₹ 3,293.53 करोड़ था। जिनमें से ₹ 289.63 लाभांश/ब्याज(कुल निवेश का 8.79 प्रतिशत है) प्राप्त हुए। इन में से 01 केन्द्रीय सरकार कम्पनी हिमाचल प्रदेश सतलुज जल विद्युत निगम (पहले नाथपा झाकड़ी पॉवर कॉर्पोरेशन) में निवेशित ₹ 1,098.14 करोड़ से ₹ 286.97 करोड़ का लाभांश तथा 65 इकाईयों में निवेशित ₹ 2,195.39 करोड़ से केवल ₹ 2.66 करोड़ का लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ। यद्यपि इन आंकड़ों को निवेशित संस्थाओं के आंकड़ों से मिलान नहीं किया गया है, जो अभी किया जाना है।

(v) माफ किये गये केन्द्रीय ऋणों की अतिरिक्त अदायगी का समायोजन

दिनांक 29 फरवरी 2012 के सभी आदेशों की श्रृंखला में 13वें वित्त आयोग वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार की सिफारिशों के दृष्टिगत केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों के अलावा) को माफ कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकार को मूल राशि और ब्याज की अधिक अदायगी को इस आदेश के प्रभावी रूप से लागू होने की तिथि (31 मार्च 2010) से वित्त मंत्रालय को भविष्य में होने वाले भुगतान के सापेक्ष समायोजित करने की अनुमति दी थी। ₹15.58 करोड़ के अधिक भुगतान में से वित्त मंत्रालय द्वारा 2013-14 के दौरान दी जाने वाली देनदारियों के सम्मुख ₹ 10.57 करोड़ को समायोजित कर दिया गया था तथा ₹ 5.01 करोड़ का समायोजन लम्बित है। वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा किसी भी अधिक अदायगी का समायोजन नहीं किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा समायोजन हेतु लम्बित पड़े शेषों ₹ 5.01 करोड़ में से मूलधन की राशि (जिसका आंकलन नहीं किया गया है) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के ऋण खातों में प्रतिकुल शेष तथा लोक ऋण में अधिक विवरण को तब तक दर्शाएगा जब तक कि इन्हें समायोजित या अपलिखित नहीं कर दिया जाता। अपलिखित ऋणों का मंत्रालय-वार विवरण अनुबन्ध-ख दिया गया है:-

(vi) आरक्षित निधियां

विभिन्न आरक्षित/जमा निधि में राज्य सरकार के अंशदान एवं उनकी उपयोगिता पर महालेखाकार (ले० व ह०) द्वारा किए गए बुक-समायोजनों का विवरण अनुबन्ध-क में इंगित किया गया है। आरक्षित निधियां तथा चिन्हित निधि में निवेशों का विस्तृत विवरण विवरणी संख्या 21 व 22 में दिया गया है।

विशेष प्रयोजन हेतु छः आरक्षित निधियां हैं। इन निधियों में 31 मार्च 2017 तक कुल जमा राशि ₹ 219.58 करोड़ है। आरक्षित निधियां में शेष राशि ₹ 219.58 करोड़ में से सरकार द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण आरक्षित निधियां (अर्थात् समेकित निक्षेप निधि तथा गारंटीमोचन निधि) नहीं बनाई गई हैं। महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का विवरण निम्न प्रकार है:

(क) समेकित निक्षेप निधियां

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बकाया देनदारियों के प्रत्युत्सर्जन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि बनानी अपेक्षित है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) द्वारा संचालित करना था राज्य सरकार को गत वर्ष के कुल बकाया देनदारियों का 0.5 प्रतिशत के बराबर इस निधि में अंशदान देना अपेक्षित है। बकाया देनदारियों से अभिप्राय आन्तरिक ऋण तथा लोक ऋण देनदारियों (विवरणी संख्या-6) से है। प्रत्युत्सर्जन मुक्त बाजार से उठाए गए प्रतिशत राज्य सरकार की बकाया देनदारियां जो की आन्तरिक ऋण तथा लोक ऋण देनदारियों में परिभाषित किया गया है (विवरणी संख्या-6)। राज्य सरकार द्वारा यद्यपि समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया गया फलस्वरूप वित्तीय वर्ष के दौरान समेकित निधि में ₹ 205.99 करोड़ (31 मार्च 2015 को बकाया देय देनदारियां ₹ 41,197.44 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान नहीं दिया गया।

(ख) गारंटी मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों से उत्पन्न प्रासंगिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गारंटी मोचन निधि स्थापित करनी अपेक्षित थी, तथा पिछले वर्ष के बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना था। यद्यपि हिमाचल प्रदेश सरकार ने गारंटी मोचन निधि को स्थापित नहीं किया गया। 14 गारंटी इकाईयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 31 मार्च 2016 तक इन 14 इकाईयों की बकाया गारंटी ₹ 3,714.39 करोड़ बनती है। इस आधार पर वर्ष 2016-17 में इस निधि को देय राशि ₹18.57 करोड़ बनती है।

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 में न्यूनतम गारंटी फीस निर्धारित नहीं की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान कोई गारंटी फीस प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी) की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार ने 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि' (एस डी आर एफ) स्थापित की है। दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार को इस निधि में 90:10 के अनुपात से योगदान/अंशदान करने की आवश्यकता है। यदि राज्य के पास एस डी आर एफ के अन्तर्गत पर्याप्त शेष नहीं है तो भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 223.30 करोड़ (₹ 11.16 करोड़ संसाधन जुटाने हेतु एवं ₹ 212.04 करोड़ केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का 90 प्रतिशत अंशदान) प्राप्त किये गये। राज्य सरकार द्वारा अपने देय अंशदान ₹ 23.56 करोड़ की जगह ₹ 25.80 करोड़ जारी किये गये। ₹ 249.70 करोड़ (₹ 0.70 करोड़ आरंभिक शेष तथा ₹ 249.00 करोड़ वर्ष 2016-17 में स्थानान्तरण) कौरपस से वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 248.75 करोड़ को प्राकृतिक आपदाओं पर किए व्यय के रूप में समायोजित किया, जिससे 31 मार्च 2017 को अथ शेष ₹ 0.95 करोड़ रहा, यद्यपि इस निधि को निवेशित नहीं किया गया। लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8121 जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ) से सम्बंधित है 'आरक्षित निधि ब्याज सहित' श्रेणी के अन्तर्गत में आता है तथा राज्य सरकार द्वारा अनिवेशित राशि पर ब्याज देना अपेक्षित है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा ₹ 0.08 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 8.00 प्रतिशत के दर से अनुमानित) ब्याज देय है, जिसे अदा नहीं किया गया।

इसी दौरान 2016-17 में राज्य सरकार को ₹ 81.22 करोड़ की अतिरिक्त सहायता एन.डी.आर.एफ के अन्तर्गत प्राप्त हुई तथा मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत ₹ 0.65 करोड़ व्यय किया गया। जबकि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त राशि का समायोजन/उपयोग नहीं किया गया।

(vii) ब्याज समायोजन

सरकार द्वारा वर्ग 'झ-लघु बचत खातों व भविष्य निधि खातों इत्यादि', 'जः-आरक्षित निधि (आरक्षित निधि ब्याज सहित)' और 'ट-जमा खातों (जमा खातों ब्याज सहित)' तथा विशिष्ट उप मुख्य शीर्षों के शेषों पर ब्याज अदा करने का दायित्व बनता है। चालू वर्ष में मुख्य शीर्ष '2049-ब्याज अदायगी' से लघु बचत खातों व भविष्य निधि खातों के लिए ₹ 899.50 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में भारित की गई है। उप शीर्ष '05-आरक्षित निधियों पर ब्याज' तथा '60-अन्य दायित्वों' के अन्तर्गत कोई भी राशि भारित नहीं की गई है। राज्य सरकार को ब्याज सहित जमा (सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम) के शेष ₹ 8.36 करोड़ पर ब्याज देना है जिसे निवेश नहीं किया गया है। यह ब्याज 0.67 करोड़ बनता है जिसका अनुमान सामान्य भविष्य निधि पर वर्ष 2016-17 के लिए देय ब्याज 8.10 व 8.00 प्रतिशत लगाया गया है। गत वर्षों के आरक्षित व जमा खातों में जमा पड़ी राशि पर ब्याज का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(viii) उचंत तथा प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे की विवरणी 21 उचंत और प्रेषण के अन्तर्गत शुद्ध शेष दर्शाती है। इन शीर्षों के अधीन बकाया शेषों की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पड़े बकाया डेबिट एवं क्रेडिट शेषों को समग्र रूप से लेकर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए उचंत तथा प्रेषण शीर्षों की स्थिति को अनुबन्ध-ग में दर्शाया गया है।

(ix) आकस्मिकता निधि

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत ₹5.00 करोड़ का कॉर्पस है। वर्ष 2016-17 के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई भी व्यय नहीं किया गया।

(x) व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 43(3) के अनुसार विशेष रूप में वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन. 1-सी(14)-1/83 दिनांक 06-09-1995 व शुद्धि पत्र संख्या दिनांक 06-02-1997 के अनुसार व्यय को चरण बद्ध तरीके से नियन्त्रित करने के लिए प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित विभागों की गैर-योजना तथा योजना में नियन्त्रित तरीके से व्यय करने की अनुमति दें जैसे कि चौथी तिमाही में 25 प्रतिशत। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल व्यय की तुलना, अन्तिम तिमाही, मार्च महीने में और मार्च 2017 के अन्तिम तीन दिनों में किये गए व्यय से निम्न है:-

(₹ करोड़ में)

जनवरी से मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	मार्च 2017 के अन्तिम तीन दिनों में किया गया व्यय	कुल व्यय	इस दौरान किया गया कुल व्यय का प्रतिशत		
				जनवरी से मार्च 2017	मार्च 2017	मार्च 2017 के अन्तिम तीन दिनों में
9,229.36	5,312.18	1,014.65	28,843.25	32.00	18.42	3.52

(xi) मुख्य शीर्ष 8670- चैक तथा बिल का परिचालन

मुख्य शीर्ष 8670 के अन्तर्गत उन चैकों का शेष दर्शाया जाता है, जिन्हें कोषागारों द्वारा जारी किया गया है परन्तु भुगतान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सभी कोषागारों में (दिल्ली कोषागार के अतिरिक्त) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए वास्तविक समय सकल व्यवस्था (आर.टी.जी.एस) प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 31 मार्च 2017 के अन्त तक दिल्ली कोषागार द्वारा जारी ₹ 0.37 करोड़ के चैकों का भुगतान लम्बित है, जिसका मिलान किया जा रहा है।

(xii) राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियां)

अभी तक भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निधि सीधे आन्तरित की जाती थी। महालेखा नियंत्रक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस) पोर्टल के अनुसार 31 मार्च 2017 तक हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा ₹ 457.18 करोड़ जारी किये। विवरण परिशिष्ट-VI में उपलब्ध है। भारत सरकार के निर्णयानुसार सभी सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी न करके सीधे राज्य सरकार को जारी करने के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अन्तरण में वर्ष 2015-16 की अपेक्षा 32.64 प्रतिशत की वृद्धि आई।

(xiii) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

बिजली वितरण कम्पनियों को पुस्तुथान पैकेज देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण दाता बैंकों को ₹2,890.50 करोड़ के बॉण्ड जारी करके डिस्कॉम ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्राप्त किया। उपर्युक्त राशि मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में वितरित की गई।

(xiv) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन एफ आर बी एम अधिनियम

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (रा उ ब प्र) (एफ आर. बी. एम. अधिनियम 2005) लागू किया। यद्यपि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुसंधानों के अनुसार राज्य सरकार ने एफ आर बी एम अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया। अब तक विभिन्न मापदण्डों के अनुसार राज्य सरकार की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।
आधिक्य

क्रम संख्या	मापदंड	लेखों के अनुसार उपलब्धियां
1.	2011-2012 से राजस्व घाटा समाप्त	लेखों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार 2015-16 में ₹ 1,137.67 करोड़ रुपये और 2016-17 में ₹ 9,20.12 करोड़ रुपये राजस्व आधिक्य है।
2.	2016-17 के दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन के अनुसार राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।	लेखों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार का वर्ष 2015-16 में ₹ 2,164.08 करोड़ जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 1.96 प्रतिशत और 2016-17 में ₹ 5,839.10 करोड़ सकल घरेलू उत्पाद का 4.69 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा है।
3.	वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण और अन्य दायित्व सकल घरेलू उत्पाद का 40.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।	राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण और अन्य दायित्व (₹ 47,244.02 करोड़ उदय के अन्तर्गत जारी ₹ 2,890.50 करोड़ के बॉण्ड सम्मिलित करके) वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद का 37.93 प्रतिशत था।

टिप्पणी:- सकल राज्य घरेलू उत्पाद- सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े (₹ 1,24,570 करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वेब साइट पर उपलब्ध नहीं है।

वर्ष के अन्त में दीर्घकालिक ऋण पर प्रत्याभूतियां पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 19.41 प्रतिशत थी (जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अनुमानित था) जो कि पिछले वित्त वर्ष के राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था।

राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्रकटीकरणों को विधायिका को प्रस्तुत किया गया।

(xv) देय देनदारियाँ

राज्य सरकार ने भविष्य में देय देनदारियों के विषय में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। अतः इसलिए इसे लेख में समावेश नहीं किया जा रहा है।

(xvi) राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

पिछले अनुच्छेदों में दिय गये विवरण का राज्य सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मर्दे	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी
3 (vi) ग	निधि में जमा राशि पर ब्याज न देना और एन.डी.आर.एफ के राशि का समायोजन न होना	80.65	0	0	80.65
3 (vii)	सब्याज जमा राशि पर ब्याज न देना	0.67	0	0	0.67
	जोड़	81.32 (आधिक्य)		81.32 (कमी)	

अनुबन्ध-क

(I). आवधिक समायोजन:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की अदायगी	2049 नामे	8009 जमा	880.72	यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज को दर्शाता है
2.	कर्मचारी बीमा योजना पर ब्याज की अदायगी	2049 नामे	8011 जमा	18.79	यह राज्य सरकार के कर्मचारियों की समूह बीमा योजना पर जमा राशि पर ब्याज को दर्शाता है
3.	राज्य आपदा रिस्पोस निधि को स्थानान्तरण	8121 नामे	2245 (-)नामे	248.75	यह राज्य आपदा रिस्पोस निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है
4.	राज्य आपदा रिस्पोस निधि को स्थानान्तरण	2245 नामे	8121 जमा	249.00	यह राज्य आपदा रिस्पोस निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है

(II). बुक समायोजन:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	सामान्य भविष्य निधि का अंशदान/वसूलियां	2014	8009	34.30	...
2.	-तदैव-	2029	8009	40.98	...
3.	-तदैव-	2053	8009	34.29	...
4.	-तदैव-	2055	8009	201.11	...
5.	-तदैव-	2059	8009	53.84	...
6.	-तदैव-	2202	8009	1,097.80	...
7.	-तदैव-	2210	8009	232.44	...
8.	-तदैव-	2211	8009	40.56	...
9.	-तदैव-	2215	8009	116.37	...
10.	-तदैव-	2401	8009	40.84	...
11.	-तदैव-	2403	8009	52.50	...
12.	-तदैव-	2406	8009	68.64	...
13.	-तदैव-	2515	8009	29.24	...
14.	-तदैव-	2702	8009	56.85	...
15.	-तदैव-	3054	8009	194.21	...
16.	-तदैव-	अन्य	8009	202.37	...
		जोड़		2,496.34	...

(III). अन्य समायोजन:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	राजस्व प्राप्तियां को अन्तरण	8443 (-)जमा	0075 जमा	1.49	राजस्व को अन्तरित व्यपगत जमा

अनुबन्ध-ख

माफ किये गये केन्द्रीय ऋणों की अतिरिक्त अदायगी का समायोजन

मंत्रालय/विभाग	बट्टे खाते में डालना	अधिक भुगतान
कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य विभाग	वर्ष 2011-12 में ₹ 0.01 करोड़ बट्टे खाते में डाले	₹ 0.02 करोड़ (मूल राशि) और ₹ 0.01 (ब्याज)
जहाजरानी एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	वर्ष 2011-12 में ₹ 0.02 करोड़ बट्टे खाते में डाले	₹ 0.13 करोड़ (मूल राशि) और ₹ 0.02 (ब्याज)
शहरी विकास मंत्रालय	वर्ष 2012-13 में ₹ 0.24 करोड़ बट्टे खाते में डाले	₹ 0.07 करोड़ (मूल राशि) और ₹ 0.06 (ब्याज)
उर्जा मंत्रालय	वर्ष 2012-13 में ₹ 0.23 करोड़ बट्टे खाते में डाले	₹ 1.31 करोड़ (मूल राशि) और ₹ 0.19 (ब्याज)
कृषि मंत्रालय	वर्ष 2011-12 में ₹ 30.50 करोड़ बट्टे खाते में डाले	₹ 6.19 करोड़ (मूल राशि) और ₹ 7.58 (ब्याज)

अनुबन्ध-ग

उचंत तथा प्रेषण शीषों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
8658- उचंत लेखे	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	45.63	23.37	55.66	18.15	77.13	29.96
शुद्ध	22.26 नामे		37.51 नामे		47.17 नामे	
102-उचंत लेखा (सिविल)	139.08	131.80	194.87	212.23	275.05	275.24
शुद्ध	7.28 नामे		17.36 जमा		0.19 जमा	
110-रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	36.40	36.40	0.08	---	---	0.03
शुद्ध	-शून्य-		0.08 नामे		0.03 जमा	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	263.90	285.67	284.65	303.47	380.08	394.95
शुद्ध	21.77 जमा		18.82 जमा		14.87 जमा	
129-सामग्री खरीद समायोजन उचंत लेखा	68.51	370.99	143.71	407.35	175.64	399.29
शुद्ध	302.48 जमा		263.64 जमा		233.65 जमा	
8782- एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन						
102-लोक निर्माण कार्य प्रेषण	4,322.98	4,507.75	4,801.22	5,144.55	6,342.70	6652.78
शुद्ध	184.77 जमा		343.33 जमा		310.08 जमा	
103- वन प्रेषण	217.57	250.76	190.00	212.00	139.25	163.86
शुद्ध	33.19 जमा		22.00 जमा		24.61 जमा	
105- भारतीय रिजर्व बैंक प्रेषण	2.39	...	2.39	...	2.39	...
शुद्ध	2.39 नामे		2.39 नामे		2.39 नामे	